



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा - I

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 - वर्ष 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा - I

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1, 2023

अनुक्रमणिका

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
प्राक्कथन	-	iii
विहंगावलोकन	-	v
अध्याय-I प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.2	1
लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया	1.3	1
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही	1.4	2
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली	1.5	4
निष्कर्ष	1.6	4
अध्याय-II अनुपालन लेखापरीक्षा		
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा	2.1	5
बेसिक शिक्षा विभाग		
अधोमानक कार्य के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब के परिणामस्वरूप भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	2.2	15
उच्च शिक्षा विभाग		
अपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	2.3	17
गृह विभाग		
अप्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अलाभकारी व्यय	2.4	19
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
एक्सकैवेटर्स के क्रय पर अनियमित भुगतान	2.5	21
ठेकेदार को अधिक भुगतान	2.6	22
ठेकेदार को अनधिकृत सहायता	2.7	23
म्यूजिकल फाउण्टेन पर निष्फल व्यय	2.8	25
किच्छा-पहा फीडर नहर में साइफन की पुनर्स्थापना पर निष्फल व्यय	2.9	26
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
ब्याज की हानि	2.10	28

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान	2.11	29
त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	2.12	30
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग		
कारागार की अपूर्ण चहारदीवारी पर अलाभकारी व्यय	2.13	31
समाज कल्याण विभाग		
प्रतिशत प्रभार का अधिक भुगतान	2.14	33
प्राविधिक शिक्षा विभाग		
गृहकर के बकाये का परिहार्य भुगतान	2.15	34
शहरी विकास विभाग		
परिहार्य भुगतान	2.16	35
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग		
अलाभकारी व्यय	2.17	37
परिशिष्टियाँ		
संख्या	विवरण	पृष्ठ सं०
1.1	विभागों एवं संबंधित संस्थाओं का विवरण	41
2.1.1	2016-21 की अवधि में प्रयागराज विकास प्राधिकरण और निजी निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्मित आवासीय इकाइयों का विवरण	43
2.1.2	मार्च 2021 तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अविक्रीत फ्लैटों का विवरण	44
2.1.3	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड से सम्बन्धित सड़क कार्यों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	45
2.1.4	दर विश्लेषण में ली गई मशीनरी की अधिक दर	46
2.2	राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये धनराशि को चालू बैंक खाते में रखने के कारण व्याज की हानि	48
2.3	₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान	49
2.4	त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	51
2.5	सेंटेज प्रभार का अधिक भुगतान	52

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभागों यथा बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गृह, आवास और शहरी नियोजन, सिंचाई और जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, समाज कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, शहरी विकास, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों को, जो वर्ष 2019-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान और साथ ही वे जो पिछले वर्षों में संज्ञान में आए लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं की जा सके, शामिल किया गया है। 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा निष्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित हैं:

अध्याय-I: प्रस्तावना

- अध्याय-II: (i) प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा;
- (ii) विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रस्तर

अध्याय-I: प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के 58 विभागों के साथ 392 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 806 अन्य संस्थाओं (शहरी स्थानीय निकायों/पंचायतीराज संस्थाओं/स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों) की लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। वर्ष 2019-21 के दौरान 6,192 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के सापेक्ष 1,305 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा' तथा 13 विभागों से संबंधित 16 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

लेखापरीक्षा में विदित हुआ (अप्रैल 2021) कि राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर ने एक ठेकेदार के बिलों से वसूल करने के बजाय सरकारी धन से लेबर सेस के रूप में ₹4.86 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर ठेकेदार से लेबर सेस की संपूर्ण राशि ₹4.86 करोड़ की वसूली (मार्च 2022) कर ली गयी थी।

अध्याय-II: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना (1974) की थी। पीडीए का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अनुसार प्रयागराज शहर के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना है और उस उद्देश्य के लिए, पीडीए के पास भूमि और अन्य संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान करने की शक्ति है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पीडीए शहरी आबादी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न आवास योजनाओं को क्रियान्वित करता है और मुख्य रूप से सिविल और विद्युत कार्यों से संबंधित विभिन्न निर्माण गतिविधियों को निष्पादित करता है। पीडीए की आवासीय और निर्माण गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए की गयी है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- पीडीए उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक प्रयागराज के 12 में से 11 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने में विफल रहा। इस प्रकार, प्रयागराज के 11 क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को अपेक्षित क्षेत्रीय योजना की उपलब्धता के बिना किया जा रहा था।

(प्रस्तर 2.1.2)

- 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, आवास योजनाओं पर पीडीए का व्यय ₹104.73 करोड़ से घटकर ₹17.56 करोड़ (83 प्रतिशत) हो गया, जबकि अन्य विकास कार्यों पर व्यय ₹63.27 करोड़ से बढ़कर ₹70.23 करोड़ (11 प्रतिशत) हो गया, जो आवास कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों, जैसे सड़क कार्य, कुंभ मेला कार्य, स्मार्ट सिटी कार्य आदि, के निष्पादन को पीडीए द्वारा वरीयता दिये जाने को दर्शाता है।

(प्रस्तर 2.1.3)

- पीडीए ने बिना किसी मांग का सर्वेक्षण किए 1,200 बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए यमुना विहार आवास योजना शुरू की। तदुपरान्त, मांग के अभाव में दो टावरों (192 फ्लैट) के निर्माण के बाद परियोजना का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप, अधूरे टावरों के बेसमेंट, स्टिल्ट, फर्श, चाहरदीवारी आदि के निर्माण पर ₹38.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। अग्रेतर, 192 में से 160 फ्लैट अविक्रीत रह गए। इसी प्रकार, ₹152.92 करोड़ की लागत वाले 357 फ्लैट अविक्रीत थे जिनका निर्माण अप्रैल 2018 (मौसम विहार) और नवंबर 2019 (जागृति विहार) में किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.5.1 और 2.1.5.4)

- कार्य में धीमी प्रगति के कारण, पीडीए ने गोविंदपुर आवास योजना के अन्तर्गत अलकनंदा अपार्टमेंट के आवंटियों को कब्जा देने की नियत तिथि से पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत जाने के बाद भी कब्जा प्रदान नहीं किया।

(प्रस्तर 2.1.5.2)

- पीडीए ने समाज के कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग के लोगों और शहरी गरीबों को किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 32,500 आवास इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 312 आवास इकाइयों का निर्माण किया।

(प्रस्तर 2.1.5.3)

- पीडीए ने टाउनशिप के लिए अपेक्षित अनुमोदन के बिना और तत्काल आवश्यकता के बिना प्रस्तावित टाउनशिप की परिधीय सड़कों के निर्माण पर ₹4.38 करोड़ का अनियमित व्यय किया। एक अन्य सड़क कार्य में बिटुमिनस कार्य के लिए तेल कम्पनियों द्वारा जारी अपेक्षित प्रेषण रसीद प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना एक ठेकेदार को ₹1.87 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.1.6.1 और 2.1.6.4)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

बेसिक शिक्षा विभाग

- बेसिक शिक्षा विभाग एवं कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) के उदासीन प्रवृत्ति के कारण 10 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आजमगढ़ जनपद में दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के भवनों का निर्माण अपूर्ण रहा जिससे ₹1.17 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, इस विलम्ब के कारण आवासीय विद्यालय ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भवन आजमगढ़ के ट्रांजिट परिसर से संचालन किये जाने हेतु बाध्य थे जिससे बालिकाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

(प्रस्तर 2.2)

उच्च शिक्षा विभाग

- निर्माण कार्य के निष्पादन में शिथिलता एवं निधियों को अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के कारण दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण सात वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, इसके निर्माण पर ₹4.61 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा, इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के छात्रों को खेल का बुनियादी ढाँचा प्रदान किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.3)

गृह विभाग

- कार्य के आरम्भ होने में विलम्ब, अप्रभावी अनुश्रवण एवं पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप बैफल फायरिंग रेंज का कार्य अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त, निर्माण पर हुए ₹5.81 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा तथा कार्य की लागत भी ₹2.41 करोड़ से बढ़कर ₹6.39 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.4)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शारदा नहर खण्ड, लखनऊ द्वारा पांच एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर्स की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को ₹91.09 लाख सेंटेंज की धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.5)

- अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बाढ़ खण्ड, बरेली द्वारा ठेकेदार को रामगंगा बैराज के कार्यों में डिवाटरिंग शुल्क हेतु ₹33.66 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.6)

- राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 द्वारा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को ₹20 करोड़ का ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम भुगतान किया गया, जिससे राज्य सरकार को ₹5.14 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.7)

- गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना के लिए अपूर्ण प्राक्कलन के आधार पर आयोजित म्यूजिकल फाउंटैन स्थापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 49.59 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.8)

- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बिना सर्वेक्षण के परियोजना के निर्माण के कारण किच्छा-पहा फीडर नहर में साइफन की पुनर्स्थापना पर ₹2.70 करोड़ का निष्फल व्यय।

(प्रस्तर 2.9)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

- शासकीय आदेश के विरुद्ध बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर द्वारा बचत बैंक खाता के स्थान पर चालू खातों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹1.62 करोड़ के ब्याज की हानि।

(प्रस्तर 2.10)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के विलम्ब से प्रेषण के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाए गए ब्याज, क्षति एवं कर्मचारी अंशदान वसूली के कारण ₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जाना।

(प्रस्तर 2.11)

- 21 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 175 चिकित्सा अधिकारियों का गलत तरीके से उच्च वेतन निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.59 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने 12 चिकित्सा अधिकारियों से ₹20.64 लाख की वसूली की।

(प्रस्तर 2.12)

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग

- परियोजना के निरूपण/गठन एवं मूल्यांकन स्तर पर उदासीन दृष्टिकोण अपनाये जाने और समय पर कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण, जिला कारागार मीरजापुर की चहारदीवारी का निर्माण कार्य इसकी स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहा एवं उसके निर्माण पर किया गया ₹1.42 करोड़ व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.13)

समाज कल्याण विभाग

- प्रतिशत प्रभार की अनुमन्यता के शासकीय आदेशों का उल्लंघन कर समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यदायी एजेंसी को ₹ दो करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना।

(प्रस्तर 2.14)

प्राविधिक शिक्षा विभाग

- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा नगर निगम गोरखपुर को गृहकर के भुगतान में शिथिलता के परिणामस्वरूप गृहकर के बकाए पर ₹3.08 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

(प्रस्तर 2.15)

शहरी विकास विभाग

- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती एवं समय पर निधि में भुगतान के सम्बंध में वैधानिक उत्तरदायित्व का पालन करने में नगर पालिका परिषद की विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के अंशदान, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के रूप में ₹1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.16)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

- विस्तृत प्राक्कलन बनाये जाने में लापरवाही पूर्ण अभिवृत्ति एवं राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में सात वर्षों से अधिक का विलम्ब किये जाने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किठौर, मेरठ के निर्माण पर ₹ पांच करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.17)

अध्याय - I
प्रस्तावना

अध्याय-I

1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के 58 विभागों के साथ 392 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 806 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि) की लेखापरीक्षा, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थान शामिल हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। विभागों एवं संबंधित संस्थाओं का विवरण *परिशिष्ट-1.1* में दिया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2019-21 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 46 विभागों के अंतर्गत 6,192 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षा के लिए नियोजित कुल 1,907 इकाइयों में से 1,305 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं निर्माण गतिविधियां' की विषयगत लेखापरीक्षा तथा 13 विभागों¹ से संबंधित 16 अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

1.3 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए चार चरण का अवसर प्रदान करता है, अर्थात्,

ऑडिट मेमो: स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन: लेखापरीक्षा संपादित होने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

आलेख्य प्रस्तर: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व उन विभागों के प्रमुखों को, जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, छह सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने के लिए निर्गत किया जाता है।

समापन बैठक: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासकीय/विभागीय मतों को जानने के लिए विभागों के प्रमुखों एवं शासन को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुखों/शासन को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूरा अवसर प्रदान करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते या संतोषजनक नहीं होते हैं, तब ही लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु कार्रवाई की जाती है। तथापि, अधिकतर प्रकरणों में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, लेखापरीक्षित इकाइयाँ सामयिक एवं संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं।

¹ बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गृह, आवास और शहरी नियोजन, सिंचाई और जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, व्यावसायिक विभाग शिक्षा और कौशल विकास।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति

58 विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से संबंधित 2,675 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मार्च 2021 तक निर्गत किये गए निरीक्षणों प्रतिवेदनों के विस्तृत पुनरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 11,484 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 49,841 प्रस्तर 31 मार्च 2022 तक संतोषजनक उत्तरों के अभाव के कारण अनिस्तारित थे। इनमें से, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 2,806 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 12,997 प्रस्तरों के सापेक्ष प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किया गया जबकि 8,678 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,844 प्रस्तरों के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1 31 मार्च 2022 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्तर
(31 मार्च 2021 तक निर्गत)

क्र० सं०	अवधि	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं० (प्रतिशत)	अनिस्तारित प्रस्तरों की सं० (प्रतिशत)
1	एक वर्ष तक	97 (1)	889 (2)
2	एक वर्ष से तीन वर्ष तक	2468 (21)	13853 (28)
3	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	2355 (21)	10572 (21)
4	5 वर्ष से अधिक तक	6564 (57)	24527 (49)
कुल योग		11484	49841

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)

वर्ष 2019-21 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की पांच बैठकें (लेखापरीक्षा समिति की बैठकें) आयोजित की गईं, जिनमें 22 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 309 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

● **वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति**

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण की आवास एवं निर्माण गतिविधियां' की विषयगत लेखापरीक्षा प्रस्तर तथा 17 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनका मत जानने के लिए अग्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के नियम 138 में प्रावधान है कि संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर आलेख्य प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। 'प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों' के विषयगत लेखापरीक्षा प्रस्तर तथा 13 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में शासन के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। चार लेखापरीक्षा प्रस्तरों के मामले में अनुस्मारक के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2022)। तथापि, सभी प्रस्तरों के संबंध में संबंधित लेखापरीक्षा इकाईयों के उत्तर प्राप्त हुए थे।

1.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह कार्यपालिका से उचित एवं सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों

में शामिल प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां राज्य विधानमंडल में उनके प्रस्तुति के दो या तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया (जून 1987)। लंबित उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति
(31 जुलाई 2022 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा / अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रस्तारों की संख्या जिसकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां लंबित हैं	
			निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा
2012-13	प्रतिवेदन सं. 5 वर्ष 2014	17.11.2014	5	28	1	22
2012-13	प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2014	01.07.2014	1	0	1	0
2013-14	प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2015	26.03.2015	6	31	3	18
2014-15	प्रतिवेदन सं. 1 वर्ष 2016	08.03.2016	9	30	0	12
2014-15	प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2016	23.08.2016	1	0	1	0
2015-16	प्रतिवेदन सं. 2 वर्ष 2017	18.05.2017	2	29	1	19
2015-16	प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2017	21.07.2017	1	0	1	0
2015-16	प्रतिवेदन सं. 4 वर्ष 2017	27.07.2017	1	0	1	0
2016-17	प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2018	07.02.2019	0	10	0	1
2018-19	प्रतिवेदन सं. 2 वर्ष 2021	19.08.2021	1	21	1	19
योग			27	149	10	91

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 के दौरान, विभागों से संबंधित 27 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 149 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तारों को इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया है। इनमें से, लोक लेखा समिति ने 42 प्रस्तारों (निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा) को चर्चा के लिए लिया। 31 जुलाई 2022 तक लोक लेखा समिति की चर्चा की स्थिति का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3 उत्तर प्रदेश, विधान सभा, लोक लेखा समिति की चर्चा की स्थिति
(31 जुलाई 2022 तक)

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा
कुल लेखापरीक्षा प्रस्तारों की सं.	176 (27 नि.ले.प + 149 अनु. ले.प.)
लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु उठाये गए	42 (15 नि.ले.प + 27 अनु. ले.प.)
प्राप्त ए.टी.एन.	शून्य

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)

1.5 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2021) से ज्ञात हुआ कि जिला बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के किमी. 80.000 से किमी. 114.000 के बीच मिट्टी-कार्य एवं पक्के कार्य सहित, राप्ती नहर के निर्माण एवं उसकी वितरण प्रणाली के लिए ₹360.89 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार के साथ एक अनुबंध निष्पादित (अप्रैल 2013) किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिलों से श्रम उपकर की वसूली के बजाए खंड द्वारा पहले श्रम उपकर जोड़ा और फिर उसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया। परिणामस्वरूप, श्रम उपकर का वास्तविक भार ठेकेदार के बजाए शासन द्वारा वहन किया गया। इस कारण से, ठेकेदार को ₹4.86 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ (जनवरी 2022 में भुगतान किए गए 85वें रनिंग बिल तक)।

उत्तर में, शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2022) कि श्रम उपकर की संपूर्ण धनराशि (₹4.86 करोड़) ठेकेदार के 86वें रनिंग बिल (मार्च 2022) से वसूल कर ली गई थी।

1.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का विषय है।

अध्याय - II

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
- लेखापरीक्षा प्रस्तर

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

2.1 प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 1974 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना की थी। पीडीए, उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत, पीडीए एक निगमित निकाय है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों¹ से मिलकर बना है।

पीडीए का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अनुसार प्रयागराज शहर के विकास को बढ़ावा देना एवं संरक्षित करना है एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पीडीए के पास भूमि एवं अन्य संपत्ति को अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन एवं निपटान करने की शक्ति है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एवं शहरी जनमानस को किफायती आवास उपलब्ध कराने हेतु पीडीए विभिन्न आवासीय योजनाओं को लागू करता है और विभिन्न निर्माण गतिविधियों, मुख्य रूप से सिविल और विद्युत से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है।

पीडीए के आवासीय और निर्माण गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2016-21 की अवधि को आच्छादित करती है। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलित करना था: (i) क्या शहरी आबादी की आवास संबंधी आवश्यकताओं को विभिन्न आवासीय योजनाओं के निष्पादन के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूर्ण किया गया था, और (ii) क्या आधारभूत संरचना से सम्बंधित कार्यों को निर्धारित नियमों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप निष्पादित किया गया था। शासन को मसौदा प्रतिवेदन अक्टूबर 2021 में प्रेषित किया गया था और पीडीए के साथ 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। पीडीए का उत्तर (मार्च 2022) शासन के माध्यम से प्राप्त (अप्रैल 2022) हुआ, एवं इन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 क्षेत्रीय योजनाओं का नहीं बनाया जाना

अधिनियम की धारा-8 के अनुसार, पीडीए को विकास क्षेत्र के लिए एक महायोजना तैयार करना आवश्यक था। महायोजना उन विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित करती है जिनमें विकास के उद्देश्यों के लिए विकास क्षेत्र को विभाजित किया जा सके और प्रत्येक क्षेत्र में भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव एवं उन चरणों को इंगित करना है, जिनके द्वारा विकास किया जाएगा। अधिनियम की धारा-9 में यह भी प्रावधानित है कि महायोजना की तैयारी के साथ-साथ या उसके बाद शीघ्र अतिशीघ्र, प्राधिकरण प्रत्येक जोन के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करे।

¹ सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (पदेन), सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन(पदेन), मुख्य ग्राम एवं नियोजक, उत्तर प्रदेश (पदेन), प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (पदेन), मुख्य नगर अधिकारी (पदेन), जिलाधिकारी प्रयागराज (पदेन), जिलाधिकारी कौशाम्बी (पदेन), सभासद द्वारा अपनों में से चयनित चार सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य (तीन से अधिक नहीं)।

अनुपालन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, अर्थात् 2016-17 से 2020-21 तक, पीडीए ने महायोजना 2021 लागू किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि महायोजना 2021 को महायोजना 2001 की योजना अवधि अर्थात् वर्ष 2001 की समाप्ति के बाद कार्यान्वित किया गया था। पीडीए ने महायोजना 2021 को जुलाई 2005 में तैयार किया था, जिसे शासन द्वारा अगस्त 2006 में अनुमोदित किया गया था। परिणामस्वरूप, महायोजना 2001 अगस्त 2006 तक संचालित रही।

प्रयागराज को महायोजना 2021 में 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इसलिए पीडीए द्वारा इन क्षेत्रों के विकास हेतु 12 क्षेत्रीय योजना तैयार किया जाना था। तथापि, जोन बी-4 (सिविल लाइन) की मात्र एक क्षेत्रीय योजना तैयार की गई थी (जनवरी 2011)। इस प्रकार प्रयागराज के शेष 11 क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियाँ अपेक्षित क्षेत्रीय योजना की उपलब्धता के बिना ही संचालित की जा रही थीं।

पीडीए ने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि मास्टर प्लान तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए विकास क्षेत्र के सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है और इसे अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के सुझावों/आपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है। शासन ने यह भी बताया कि शेष 11 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जानी थी और इन 11 क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को महायोजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पीडीए, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय विकास योजनाओं को तैयार करना आवश्यक था। पुनः पीडीए महायोजना तैयार करने की प्रक्रिया से पूर्णतया अवगत था। अतः पीडीए को पहले से ही यह प्रक्रिया प्रारम्भ कर देनी चाहिए थी जिससे कि पिछली महायोजना के समाप्त होने से पूर्व ही नयी महायोजना पर शासन की स्वीकृत प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त महायोजना 2031, जिसे जनवरी 2022 से ही संचालित किया जाना था किंतु महायोजना 2021 की योजना अवधि समाप्त होने के बाद भी इसे अंतिम रूप दिया जाना लम्बित था (अगस्त 2022)।

2.1.3 आवासीय एवं अन्य विकास कार्यों पर बजट प्रावधान एवं व्यय

आवासीय एवं अन्य विकास कार्यों (सड़क निर्माण, आधारभूत संरचना, कुंभ मेला कार्य, स्मार्ट सिटी आदि) से सम्बंधित वर्ष 2016-17 से 2020-21 के मध्य पीडीए का बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका 2.1.1 में इस प्रकार था।

तालिका 2.1.1: 2016-21 के दौरान पीडीए द्वारा आवास और सड़क/विकास कार्यों पर बजट प्रावधान और व्यय।

(₹करोड़ में)

वर्ष	आवास		सड़क/विकास कार्य	
	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2016-17	138.00	104.73	92.80	63.27
2017-18	116.85	113.56	46.60	37.75
2018-19	84.00	60.98	110.00	76.20
2019-20	37.65	37.65	150.69	150.68
2020-21	24.00	17.56	86.60	70.23
योग	400.50	334.48	486.69	398.13

(स्रोत: प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

जैसा कि तालिका 2.1.1 से स्पष्ट है कि, आवास योजनाओं पर व्यय 2016–17 से 2020–21 के दौरान 83 प्रतिशत घटकर ₹104.73 करोड़ से घटकर ₹17.56 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान अन्य विकास कार्यों पर व्यय 11 प्रतिशत बढ़कर ₹63.27 करोड़ से ₹70.23 करोड़ हो गया। अतः पीडीए आवासीय गतिविधियों की तुलना में सड़क कार्यों, कुंभ मेला कार्य, स्मार्ट सिटी आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था।

पीडीए ने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि विकास कार्यों पर व्यय आवासीय गतिविधियों से अधिक था क्योंकि पीडीए कुंभ मेला और स्मार्ट सिटी आदि के लिए एक कार्यदायी संस्था के रूप में भी कार्य करता है।

तथ्य यथावत रहा की पीडीए द्वारा आवासीय गतिविधियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिससे प्रयागराज शहर के विकास पर प्रभाव पड़ा जैसा कि आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

2.1.4 आवासीय गतिविधियां

योजना के अनुसार विकास क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तहत विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई थी। प्रयागराज की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयागराज महायोजना 2021 में किये गये आकलन के अनुसार 2.64 लाख आवासीय इकाइयों की कमी थी जैसा कि निम्नलिखित तालिका 2.1.2 में वर्णित है।

तालिका 2.1.2: प्रयागराज में आवासीय इकाइयों की कमी के आकलन का विवरण

क्र० सं०	विवरण	दशकीय वर्ष		
		2001	2011	2021
1	जनसंख्या	1200000	1600000	2050000
2	आवश्यक आवासीय इकाइयों की संख्या	240000	320000	410000
3	आवासीय इकाइयों की कमी	94000	174000	264000

(स्रोत : प्रयागराज महायोजना 2021)

महायोजना 2021 के अन्तर्गत, पीडीए ने प्रयागराज की अनुमानित 20.50 लाख जनसंख्या के लिए 11,164.48 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई थी। पीडीए ने बताया कि पीडीए और निजी विकासकर्ताओं द्वारा निष्पादित विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत 2016–21 के मध्य प्रयागराज में 8,168 आवासीय इकाइयों को विकसित किया गया (परिशिष्ट-2.1.1)। तथापि, महायोजना 2021 के अन्तर्गत परिकल्पित 2.64 लाख आवासीय इकाइयों की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए निर्मित आवासीय इकाइयों का विवरण पीडीए द्वारा प्रदान नहीं किया।

2.1.5 आवास योजनाओं का कार्यान्वयन

पीडीए द्वारा कार्यान्वित कुछ आवास योजनाओं की नमूना जांच से संज्ञान में आया कि परियोजनाएं मांग या आर्थिक व्यवहार्यता, निर्माण स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता परीक्षण आदि की जांच किए बिना ही प्रारंभ की गयी थी। उपरोक्त कारकों के साथ समन्वय में कमी, अनुश्रवण की कमी आदि के कारण निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब था।

2.1.5.1 यमुना विहार आवास योजना

पीडीए ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए वर्ष 2016 में नैनी, प्रयागराज में यमुना विहार आवास योजना² शुरू की। योजनान्तर्गत ₹284.41 करोड़ की लागत से 15 टावरों वाले 1,200 बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण हेतु एक ठेकेदार के साथ अनुबंध (दिसम्बर 2016) हस्ताक्षरित किया गया था। कार्य प्रारंभ करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः दिसंबर 2016 और दिसंबर 2019 थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि यमुना विहार आवास योजना के अंतर्गत फ्लैटों की अपर्याप्त मांग के कारण, पीडीए ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक समिति का गठन (नवंबर 2019) किया। तथापि, इस समय तक, पूरी परियोजना के लिए बेसमेंट, स्टिल्ट्स, फर्श, चाहरदीवारी और भूमिगत पानी की टंकी का निर्माण और 1,200 फ्लैटों (15 टावरों) में से 192 फ्लैट (दो टावर) का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। यह पाया गया कि निर्मित 192 में से केवल 32 फ्लैटों को ही आवंटित किया जा सका था तथा अवशेष 160 फ्लैट अविच्छिन्न (अक्टूबर 2021) थे। पीडीए ने दो टावरों (192 फ्लैटों) के कार्य को सम्बद्ध कार्यों सहित पूर्ण करने तथा शेष टावरों के निर्माण को रोकने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2019)। इसके बाद, पीडीए ने अपूर्ण टावरों की नीलामी के लिए अपने बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2020)। तथापि, बोर्ड ने पीडीए को प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने और बिक्री की दशा में पीडीए और ठेकेदार की जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्देश दिया। अग्रेतर, अधूरे टावरों की नीलामी पर निर्णय अभी भी लंबित था (मार्च 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडीए के वित्त नियंत्रक ने उल्लिखित किया था (अक्टूबर 2016) कि निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले परियोजना के तहत फ्लैटों की बिक्री के लिए मांग सर्वेक्षण आवश्यक था। तथापि, कोई मांग सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा पीडीए ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि लागत के अनुमोदन के बाद मांग सर्वेक्षण किया जाएगा। अग्रेतर, बताया कि उक्त फ्लैटों की मांग अधिक रही थी।

अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को ₹83.13 करोड़ (मार्च 2022) का भुगतान किया गया था, जिसमें से ₹38.85 करोड़ का भुगतान अधूरे टावरों के बेसमेंट, स्टिल्ट, फर्श की चाहरदीवारी आदि के निर्माण के लिए किया गया था और शेष ₹44.28 करोड़ का भुगतान दो टावरों के निर्माण और इनके संबद्ध कार्यों के लिए किया गया था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पीडीए ने अधूरे टावरों के निर्माण कार्य को छोड़ने का निर्णय लिया था, उनके विकास पर किया गया ₹38.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, यमुना विहार आवास योजनान्तर्गत 1,200 फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व मांग सर्वेक्षण करने में पीडीए की विफलता के परिणामस्वरूप 10 अधूरे टावरों के विकास पर ₹38.85 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ³ और मांग की कमी के कारण 160 अविच्छिन्न फ्लैटों की भविष्य में बिक्री भी अनिश्चित थी।

2.1.5.2 गोविन्दपुर आवास योजनान्तर्गत अलकनंदा अपार्टमेंट्स

पीडीए ने गोविन्दपुर आवास योजना के अंतर्गत 'अलकनंदा अपार्टमेंट' शीर्षक के तहत 140 फ्लैटों के आवंटन के लिए एक योजना प्रकाशित की। 136 फ्लैटों का आवंटन 1 सितंबर 2014 को किया गया था। योजना विवरणिका के अनुसार, आवंटन की तारीख से 24 महीने के भीतर फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को दिया जाना था।

² समाजवादी आवास योजना (दिसंबर 2014) के तहत, राज्य सरकार की एक किफायती आवास योजना।

³ पीडीए द्वारा 10 अधूरे टावरों पर आगणित आनुपातिक व्यय।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीडीए ने निर्माण कार्य एक ठेकेदार को आवंटित किया (सितंबर 2014) जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 1 नवंबर 2014 और 30 सितंबर 2016 थी। तथापि, क्रमशः 78 प्रतिशत और 75 प्रतिशत भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ कार्य अधूरा (जुलाई 2021) रहा। दलदली मिट्टी के कारण कार्य की गति बहुत धीमी पायी गयी। इस कारण इन फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को नहीं दिया जा सका।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, पीडीए ने बताया (अक्टूबर 2021) कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा 29 जून 2021 तक का समय विस्तार दिया गया था और पीडीए ने आगे समय विस्तार के लिए आवेदन किया था।

तथ्य यथावत रहा कि कब्जा प्रदान किये जाने की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा प्रदान नहीं किया गया था।

2.1.5.3 प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग के लोगों और शहरी गरीबों को किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू (2015) किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीडीए को किफायती मूल्य पर 6,500 आवासीय इकाइयों के निर्माण का निर्देश दिया (सितम्बर 2017)। इस लक्ष्य के सापेक्ष, पीडीए ने अपनी रिक्त भूमि (8,540.75 वर्ग मीटर) पर 312 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आवासीय इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया (नवंबर 2017), जिसे पीएमएवाई के लिये भारत सरकार के केंद्रीय मंजूरी और निगरानी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित (जनवरी 2018) किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः 26,000 ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों का निर्माण चरणों में करने का निर्देश दिया (जून 2018): 2018–19 (9,750 इकाइयां), 2019–20 (13,000 इकाइयां) और 2020–21 (3,250 इकाइयां)। राज्य सरकार ने आगे निर्देश दिया (जुलाई 2018) कि पीएमएवाई के अंतर्गत आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए भूमि पीडीए को जिलाधिकारी, प्रयागराज की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पीडीए ने जिला प्रशासन से 26,000 आवासीय इकाइयों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 65 हेक्टेयर भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया। लेकिन पीडीए को जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इस प्रकार 32,500 इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध, पीडीए केवल 312 इकाइयों (एक प्रतिशत) के निर्माण की योजना बना सका। इसके अतिरिक्त निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पीएमएवाई योजनान्तर्गत दो परियोजनाओं में 697 आवासीय इकाइयों का विकास भी कराया गया था। इस प्रकार, पीएमएवाई के तहत किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य पीडीए द्वारा पूरा नहीं किया जा सका।

उत्तर में, पीडीए ने बताया (मार्च 2022) कि उसने राज्य सरकार से शेष इकाइयों के निर्माण से पीडीए को मुक्त करने का अनुरोध किया था (फरवरी 2021)। अग्रेतर, पीडीए द्वारा बताया कि जिला प्रशासन से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजना के तहत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

तथ्य यथावत रहा कि पीएमएवाई के तहत ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों को विकसित करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के बावजूद, पीडीए और जिला प्रशासन के मध्य समन्वय की कमी के कारण हासिल नहीं किया गया था।

2.1.5.4 अविक्रीत फ्लैट्स

पीडीए ने दो आवास योजनाएं, वर्ष 2013 में मौसम विहार और वर्ष 2015 में जागृति विहार शुरू की, जिसमें 792 फ्लैटों का निर्माण शामिल था। इन फ्लैटों का निर्माण अप्रैल 2018 (मौसम विहार) और नवंबर 2019 (जागृति विहार) में पूरा किया गया था। तथापि, इन योजनाओं में पीडीए केवल 435 फ्लैट, वह भी जून 2013 से दिसंबर 2020 के बीच पांच से आठ बार-बार विज्ञापनों के बाद, बिक्री कर सका। ₹ 152.92 करोड़ की लागत वाले शेष 357 फ्लैट रिक्त पड़े थे, जो कि उक्त दोनों योजनाओं को प्रारंभ किये जाने से पूर्व मांग के गलत आकलन का संकेत था (परिशिष्ट-2.1.2)।

पीडीए ने बताया (मार्च 2022) कि इन अविक्रीत फ्लैट्स के लिए पंजीकरण खोला गया था और शीघ्र ही इनकी बिक्री की जाएगी।

2.1.6 पीडीए की विकास गतिविधियां

अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि पीडीए अन्य सेवाओं के साथ-साथ सड़क, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक कार्यों आदि सहित विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करेगा। तदनुसार, पीडीए विभिन्न सड़क कार्यों का निर्माण, चौड़ीकरण और रख-रखाव संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है। उक्त के अतिरिक्त, कुम्भ मेला 2019 और प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पीएससीएल) से संबंधित कार्यों को भी पीडीए द्वारा जमा कार्यों⁴ के रूप में निष्पादित किया जा रहा था। पीडीए की उक्त विकास गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

2.1.6.1 परिधीय सड़क पर अनियमित व्यय

पीडीए द्वारा नैनी में एक टाउनशिप के विकास का प्रस्ताव किया गया, जिसके लिए जून 2018 में ले-आउट प्लान तैयार किया गया था। टाउनशिप के तलपट मानचित्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में पीडीए द्वारा टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत दो परिधीय सड़क के निर्माण कार्य (तालिका 2.1.3) का निर्णय इस दृष्टिगत लिया गया (जून 2018) कि उक्त मार्ग का उपयोग कुम्भ मेला 2019 (जनवरी से मार्च 2019) में श्रद्धालुओं द्वारा पार्किंग स्थल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा।

तालिका 2.1.3: नैनी टाउनशिप के परिधीय सड़क का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	मार्ग का नाम	आगणित लागत
1	नैनी में प्रस्तावित टाउनशिप में अरैल मार्ग के समानान्तर 24 मीटर चौड़ा परिधीय सड़क	10.27
2	नैनी में प्रस्तावित टाउनशिप में नवीन यमुना ब्रिज के समानान्तर 24 मीटर चौड़ा परिधीय सड़क	9.91
	कुल योग	20.18

दोनों मार्ग निर्माण कार्यों की निविदायें जुलाई 2018 में आमंत्रित की गयी तथा ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन (नवम्बर 2018), कार्य प्रारम्भ करने तथा पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 20 नवम्बर 2018 तथा 19 मार्च 2019 के साथ किया गया। तथापि, कार्य कुम्भ मेला 2019 के समापन के 18 माह पश्चात् सितम्बर 2020 तक प्रारम्भ नहीं किया गया।

⁴ इन कार्यों की लागत अनुरोध करने वाले विभागों द्वारा वहन की जाती है।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने का कोई कारण नहीं पाया गया। तथापि, पीडीए द्वारा दोनों कार्यों के पूर्ण करने हेतु 15 जनवरी 2021 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2021 तक दोनो सड़को के सापेक्ष ₹4.38 करोड़ का मिट्टी का कार्य ही कराया जा सका था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में कोई प्रगति नहीं पायी गयी (अगस्त 2021)। पीडीए द्वारा विलम्ब का कारण कार्य स्थल पर गहरी सीवर लाइने, नाली तथा पानी की लाइनों के निर्माण का लम्बित रहना बताया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि टाउनशिप के आवासीय भाग के ले-आउट प्लान का अनुमोदन पीडीए के बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2020 में ही कर दिया गया था। तथापि, राज्य सरकार स्तर पर टाउनशिप के प्रस्तावित कामर्शियल क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन प्रतीक्षित था (अगस्त 2018)। परियोजना की लागत से इसकी वित्तीय व्यवहार्यता को भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार पीडीए द्वारा बिना टाउनशिप के अपेक्षित अनुमोदन एवं बिना तात्कालिक आवश्यकता के सड़क कार्य कर ₹ 4.38 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया। अग्रेतर, उक्त सड़क का उपयोग कुम्भ मेला 2019 के लिए भी नहीं किया जा सका जिसके प्रारम्भ करने का तात्कालिक कारण बताया गया था।

2.1.6.2 बारात घर का निर्माण

पीडीए द्वारा किराये के आधार पर संचालित किये जाने हेतु तीन कम्युनिटी सेन्टर (बारात घर) का निर्माण किया गया था। विवरण तालिका 2.1.4 में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: कम्युनिटी सेन्टर के निर्माण की लागत

(₹करोड़ में)

कम्युनिटी सेन्टर का नाम (बारात घर)	पूर्ण होने की तिथि	निर्माण लागत
त्रिवेणीपुरम आवास योजना के अन्तर्गत गंगोत्री	जुलाई 2018	5.57
कालिन्दीपुरम आवास योजना के अन्तर्गत यमुनोत्री	जुलाई 2017	2.32
त्रिवेणीपुष्प बारात घर	मई 2019	3.29
कुल योग		11.18

उक्त तीनों बारात घरों का निर्माण कार्य दो से चार वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो जाने बावजूद पीडीए द्वारा इन बारात घरों को सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सका (अगस्त 2021)। इस प्रकार पीडीए द्वारा इन तीन बारात घरों के निर्माण पर किया गया ₹11.18 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

पीडीए ने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी) तैयार कर लिया गया था जो कि अनुमोदन की प्रक्रिया में था।

2.1.6.3 दर विश्लेषण में मशीनरी की अधिक दर लगाये जाने से आगणित लागत में वृद्धि

सड़क निर्माण कार्य का सम्पादन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की डेटा बुक में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार किये जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, किसी भी मद के दर विश्लेषण में मशीनरी की दर मोर्थ डेटा बुक से लिया जाना था। अग्रेतर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदेश (जुलाई 2012) के

अनुसार मशीनरी की दर वर्ष 2001-02 के मोर्थ डेटा बुक को आधार मानते हुए प्रत्येक विगत वर्ष हेतु पाँच प्रतिशत की दर से वृद्धि करते हुए लिया जाना चाहिए था।

प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ₹84.30 करोड़ लागत के 13 सड़कों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य पीडीए को आवंटित किया गया था (मई 2018 एवं फरवरी 2020) (परिशिष्ट-2.1.3)।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मदों के दर विश्लेषण में मशीनरी की दर 2.37 प्रतिशत से 5.74 प्रतिशत तक अधिक लिया गया था, यथा, ग्रेनुलर सब बेस (जीएसबी), डेन्स ग्रेड बिटुमिनस मैकडम (डीजीबीएम), बिटुमिनस मैकडम (बीएम) तथा सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) (परिशिष्ट-2.1.4)। आगणनों में दर अधिक लिये जाने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पीडीए द्वारा उत्तर में बताया गया कि दर विश्लेषण प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नियुक्त एक परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी जाँच लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी थी तथा इन आगणनों की तकनीकी स्वीकृति अध्यक्ष, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी थी। अग्रेतर, पीडीए ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद संज्ञान में आयी बढ़ी हुयी लागत के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक एवं तकनीकी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जायेगा एवं तदनुसार संबंधित फर्म को किये जाने वाले भुगतान को अवरूद्ध कर लिया जायेगा।

2.1.6.4 परेषिती पावती प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना सड़क कार्य पर अनियमित भुगतान

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित (अक्टूबर 2008) किया गया कि बिटुमिनस कार्य के लिए ठेकेदारों को भुगतान तेल कम्पनियों द्वारा जारी किया गया मूल परेषिती पावती प्रमाणपत्र (सीआरसी) प्राप्त किये बिना न किया जाय। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा भी आदेशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिनस कार्य के लिए ठेकेदारों को भुगतान तब किया जाय जब उनके द्वारा सीआरसी प्रस्तुत कर दिया जाय।

पीडीए द्वारा डा0 लोहिया मार्ग (नवाब युसुफ मार्ग से म्योर मार्ग) के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य एक ठेकेदार (मे0 ध्यान सिंह) को आवंटित किया गया। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडीए द्वारा कार्य⁵ के बिटुमिनस मदों हेतु तृतीय रनिंग बिल (जुलाई 2021) तक ₹1.87 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को बिना सीआरसी प्राप्त किये किया गया।

पीडीए द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर, 2021) कि सीआरसी ठेकेदार से प्राप्त कर लिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सीआरसी भुगतान से पहले प्राप्त किया जाना था। इस प्रकार ठेकेदार को ₹1.87 करोड़ का भुगतान अनियमित रूप से बिना सीआरसी प्राप्त किये किया गया।

⁵ डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडम, टैक कोट वीजी-10 बिटुमिन के साथ तथा बिटुमिनस कंक्रीट।

2.1.6.5 कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान न किया जाना

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के प्रस्तर 29 में प्रावधान है कि निर्धारित दर पर ईपीएफ अंशदान कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए। अग्रेतर, योजना के प्रस्तर 30 के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से सम्बद्ध कर्मचारियों का भविष्य निधि योगदान या तो नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा अथवा प्रमुख नियोक्ता द्वारा जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडीए द्वारा तालिका 2.1.5 में दिए गए विवरण के अनुसार ईपीएफ अंशदान के लिए ठेकेदारों के देयकों से ₹1.53 करोड़ की कटौती की गयी थी।

तालिका 2.1.5: ठेकेदारों के देयकों से ईपीएफ कटौती का विवरण

(₹लाख में)

अवधि	ठेकेदार के देयकों से ईपीएफ खाते में काटी गई राशि
2019–20	93.66
2020–21	54.62
2021–22 (5/2021 तक)	4.55
योग	152.83

(स्रोत: पीडीए से एकत्रित डेटा)

तथापि, पीडीए उक्त ईपीएफ अंशदान की धनराशि ₹1.53 करोड़ कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा करने में विफल रहा, जिसके कारण कर्मचारी अपेक्षित सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे।

पीडीए द्वारा उत्तर (अक्टूबर 2021) में बताया गया कि उक्त धनराशि की ठेकेदारों के देयकों से कटौती कर ली गयी थी क्योंकि वे ईपीएफ अंशदान जमा करने में विफल रहे। अग्रेतर, पीडीए द्वारा बताया गया कि ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों के अंशदान को ईपीएफ खातों में जमा करते ही कटौती की गयी धनराशि वापस कर दी जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि कटौती की गई राशि ₹1.53 करोड़ कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा करना प्रधान नियोक्ता के रूप में पीडीए की जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त, धनराशियां 2018–19 से कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा किये जाने हेतु लंबित थीं, जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7क्यू और 14बी के तहत दंडात्मक ब्याज और दंडात्मक क्षति को भी आकर्षित करती है।

2.1.6.6 प्रतिशत प्रभार वसूल न किया जाना

शासनादेश (फरवरी 1997 एवं नवम्बर 2014) में प्रावधान था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा किये गये निक्षेप कार्यों पर कार्य की कुल लागत पर 5 प्रतिशत घटाने के पश्चात उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा। .

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडीए द्वारा अब तक प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पीएससीएल) के ₹32.17 करोड़ की लागत के कार्यों को निष्पादित किया गया था, तथापि, पीडीए ने ₹3.82 करोड़ (₹32.17 करोड़ × 95 प्रतिशत × 12.5 प्रतिशत) के अनुमन्य प्रतिशत प्रभार की वसूली नहीं की।

पीडीए द्वारा उत्तर में बताया (जून 2021) गया कि पीएससीएल से सेन्टेज प्रभार की मांग की गयी थी, तथापि प्रतिशत प्रभार प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 2022)।

2.1.7 निष्कर्ष

पीडीए उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा, क्योंकि उसने प्रयागराज में 12 में से 11 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार नहीं की थी। विगत पांच वर्षों में, आवास गतिविधियों पर पीडीए के व्यय में काफी गिरावट आई है, जबकि सड़कों के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास गतिविधियों पर व्यय अधिक रहा है, जो कि पीडीए का ध्यान आवास योजनाओं के बजाय बुनियादी ढांचे के विकास पर स्थानांतरित होना दर्शाता है। अग्रेतर, आवास योजनाओं को बिना पर्याप्त योजना के क्रियान्वित किया गया जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में अविक्रीत प्लैटों के अलावा कार्यों में धीमी प्रगति के कारण आवंटियों को आवासों का कब्जा प्रदान करने में देरी हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडीए द्वारा किये गये विकास कार्यों के निष्पादन के कई प्रकरणों में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था जैसे कि लागत में वृद्धि के साथ आगणन का बनाया जाना, अनियमित व्यय, सांविधिक अंशदान का भुगतान न किया जाना आदि।

2.1.8 संस्तुतियाँ

1. पीडीए को प्रयागराज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।
2. पीडीए द्वारा मांग सर्वेक्षण करने के बाद ही प्रस्तावित स्थान पर आवासीय परियोजनाएं प्रारंभ करनी चाहिए। अविक्रीत प्लैटों की बिक्री के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।
3. पीडीए द्वारा बिना मांग सर्वेक्षण किये ही यमुना विहार आवास योजनान्तर्गत प्लैट्स का निर्माण कराये जाने के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए।
4. पीडीए को अधूरी आवासीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
5. पीडीए को प्राक्कलन तैयार करते समय निर्धारित मानदंडों और विशिष्टियों का अनुपालन करना चाहिए और अनुबंधों के निष्पादन में अनुबंध प्रबंधन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

बेसिक शिक्षा विभाग

2.2 अधोमानक कार्य के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब के परिणामस्वरूप भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय।

बेसिक शिक्षा विभाग एवं कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) के उदासीन प्रवृत्ति के कारण 10 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आजमगढ़ जनपद में दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के भवनों का निर्माण अपूर्ण रहा जिससे ₹1.17 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, इस विलम्ब के कारण आवासीय विद्यालय ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भवन आजमगढ़ के ट्रांजिट परिसर से संचालन किये जाने हेतु बाध्य थे जिससे बालिकाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

समाज के वंचित वर्गों की बालिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 15 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित करने का अनुमोदन (2010-11) प्रदान किया।

राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2021) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ से एकत्रित की गयी सूचनाओं से संज्ञान में आया कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा 15 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया (मार्च 2011) था तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मध्य अनुबंध निष्पादित किया गया (जून 2011)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कार्यदायी संस्था को निधि अवमुक्त किये जाने एवं भूमि उपलब्ध कराये जाने के छः माह के अन्दर ₹62.49 लाख प्रति विद्यालय की आगणित धनराशि में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था। अनुबन्ध में अग्रेतर प्रावधानित था कि यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता अधोमानक पायी जाती है तो कार्य को बन्द कर दिया जायेगा और 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित आवंटित राशि की वसूली उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से की जायेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वीकृत 15 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में से जनपद आजमगढ़ के लालगंज एवं ठेकमा विकास खण्डों में दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण अब तक अपूर्ण था (जून 2022)। लालगंज एवं ठेकमा में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण क्रमशः अगस्त 2011 एवं अक्टूबर 2011 में प्रारम्भ हुआ था जिसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि जनवरी 2012 थी। हालाँकि, जुलाई 2011 और सितम्बर 2014 के मध्य दोनों विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ₹1.17 करोड़ निर्गत⁶ किये जाने के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तत्पश्चात, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु जिला शिक्षा परियोजना समिति, आजमगढ़ ने सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश (जनवरी 2016) पर प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ को नोडल एजेंसी नामित किया (मार्च 2016)। लालगंज

⁶ राज्य परियोजना निदेशक ने जिलाधिकारी, जो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे, को निर्देशित (फरवरी 2011) किया कि कार्य के लिए राज्य स्तर पर चयनित संस्थाओं की सूची में से किसी एक उपयुक्त संस्था का चयन किया जाए।

⁷ जून 2022 तक ठेकमा एवं लालगंज में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का 75 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था।

⁸ प्रत्येक विद्यालय के लिए जुलाई 2011 में पहली किस्त (₹31.245 लाख), मार्च 2012 में द्वितीय किस्त (₹24.496 लाख) एवं सितम्बर 2014 में तृतीय किस्त (₹3.125 लाख)।

एवं ठेकमा में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के अधोमानक छत के कार्य के कारण लोक निर्माण विभाग ने मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करके पुनर्निर्माण हेतु ₹2.01 करोड़ का आगणन तैयार किया। इसके दृष्टिगत, जिलाधिकारी आजमगढ़ (जून 2016) एवं राज्य परियोजना निदेशक (अप्रैल 2017) ने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये वांछित धनराशि वसूल किये जाने का अनुरोध किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी एवं राज्य परियोजना अधिकारी ने वर्ष 2016-18 के दौरान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से अनेक पत्राचार किये, हालांकि, कार्य अपूर्ण रहे। अग्रेतर, जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय लालगंज एवं ठेकमा की ढांचागत सुदृढ़ता की जाँच हेतु एक समिति⁹ का गठन किया (अप्रैल 2018), जिसके द्वारा भवन के पुनर्निर्माण के स्थान पर भवन के स्वास्थ्य को बहाल किये जाने के कई उपायों जैसे छज्जे का पुनर्निर्माण, पतले मसाले से चिनाई कार्य, सरिये को ठीक से ढांकना आदि की अनुशंसा की गयी (फरवरी 2019)। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अग्रेतर क्षय को रोकने हेतु निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाना चाहिए क्योंकि कार्य वर्ष 2012 से बन्द था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने राज्य परियोजना निदेशक को अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिये ₹1.46 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया (अक्टूबर 2019) एवं उसके सापेक्ष राज्य परियोजना निदेशक ने कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये राज्य सरकार से ₹1.40 करोड़¹⁰ की अतिरिक्त निधि प्रदान किये जाने का अनुरोध¹¹ किया। परन्तु, न ही निधि निर्गत की गयी और न ही कार्य पूर्ण किया गया एवं अधोमानक कार्य के कारण निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की वसूली हेतु शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के विरुद्ध (मई 2022) कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी।

शासन द्वारा उत्तर में कहा गया (जून 2022) कि मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के इस निर्देश के बावजूद कि कराये गये कार्य की गुणवत्ता/तकनीकी जाँच कराकर आगामी किस्तें निर्गत की जाएं जबकि बिना गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त किये ही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को द्वितीय किस्त (मार्च 2012) एवं तृतीय किस्त (सितम्बर 2014) निर्गत कर दी की गयीं। कार्य बाद में अधोमानक पाया गया (अगस्त 2015) और इसलिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जिम्मेदार कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया एवं उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। शासन ने अग्रेतर कहा कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिये पुनरीक्षित आगणनों की 50 प्रतिशत की धनराशि निर्गत कर दी गयी थी (जनवरी 2022) तथा जनपदीय प्राधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निधियों का निर्गमन प्रगति पर है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों की अधोमानक गुणवत्ता के कार्य एवं दस वर्षों से अधिक के असामान्य विलम्ब के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ इस बात को सुनिश्चित करने में विफल रहे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को द्वितीय एवं तृतीय किस्तों का भुगतान गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही किया

⁹ समिति में प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई.आई.टी. बी.एच.यू. वाराणसी; अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग., आजमगढ़; सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़, जनपदीय समन्वयक, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़; सब-इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, भदोही ईकाई सम्मिलित थे।

¹⁰ स्कूल स्तर पर अवशेष धनराशि ₹ 6.25 लाख को घटाने के उपरांत।

¹¹ दिनांक 09.09.2020, 17.09.2021 को निर्गत पत्र।

गया। इस प्रकार, विभाग एवं कार्यदायी संस्था की लापरवाही पूर्ण अभिवृत्ति के परिणामस्वरूप कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के अधोमानक एवं अपूर्ण भवनों के निर्माण पर ₹1.17 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त इस विलम्ब के कारण इन विद्यालयों को ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भवन, आजमगढ़ के ट्रांजिट परिसर से संचालित किये जाने हेतु बाध्य थे जिसके कारण बालिकाओं को कठिनाइयों¹² का सामना करना पड़ रहा था।

गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त करने में विफल रहने, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को आवंटित निधियों की वसूली न किये जाने एवं अनुबंध के अनुसार कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने, पुर्ननिविदा में असमान्य विलम्ब, कार्य पुनः उसी संस्था को सौंपे जाने जो पूर्व में अधोमानक कार्य के लिये जिम्मेदार थी एवं उसे पुनः निधियां प्रदान करने एवं विलम्ब के लिये संस्था को काली सूची में डालने के दायित्वों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा विभाग

2.3 अपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

निर्माण कार्य के निष्पादन में शिथिलता एवं निधियों को अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के कारण दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण सात वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, इसके निर्माण पर ₹4.61 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा, इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के छात्रों को खेल का बुनियादी ढाँचा प्रदान किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के नियम 212 के अनुसार, सम्बन्धित विभागीय अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गुणवत्ता में समझौता किये बिना कार्य की प्रगति नियत समयावधि में हो एवं कार्य की भौतिक प्रगति के अनुसार निधियां अवमुक्त की जा रही हों। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के पैराग्राफ 318 के अनुसार कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री द्वारा पैवेलियन सहित स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की उद्घोषणा (मार्च 2013) के अनुक्रम में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में उसके निर्माण¹³ के लिये राज्य सरकार द्वारा ₹4.85 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (नवम्बर 2013) प्रदान की गयी एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित (नवम्बर 2013) किया गया। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में यह प्रावधान था कि कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व कार्य की समयावधि एवं उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिये दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के साथ अनुबन्ध गठित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को ₹4.85 करोड़ की सम्पूर्ण निधि चार किस्तों ₹2.42 करोड़ (नवम्बर 2013), ₹95 लाख (अगस्त 2015), ₹66.47 लाख (दिसम्बर 2016) तथा ₹ 80.97 लाख (अगस्त 2019) में अवमुक्त की गयी।

¹² जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को प्रेषित पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2018 में यह सूचित किया कि दोनों विद्यालयों को ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भवन, आजमगढ़ के ट्रांजिट परिसर से संचालित किये जाने के कारण बालिकाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

¹³ बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, लान टेनिस कोर्ट, एवं क्रिकेट फील्ड (ट्यूबबेल, सबमर्शिबल एवं पम्प हाउस) बालीबाल एवं टेनिस कोर्ट के लिए दो खुले पैवेलियन स्थल तथा चेंजिंग रूम एवं शौचालय के साथ क्रिकेट फील्ड के लिए एक खुला पैवेलियन स्थल।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अभिलेखों की जॉच (मार्च एवं अप्रैल 2021) से संज्ञान में आया कि वित्तीय स्वीकृति के छः माह के पश्चात् दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिये स्थल को अंतिम रूप (जून 2014) दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, शासन द्वारा प्रथम किस्त निर्गत किये जाने के आठ माह पश्चात् निर्माण कार्य अगस्त 2014 में प्रारम्भ किया गया। निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की नियत तिथि अगस्त 2015 थी। हालाँकि, सितम्बर 2015 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा मात्र ₹1.35 करोड़ का ही उपयोग कर भौतिक प्रगति 28 प्रतिशत प्राप्त की जा सकी, जबकि उनके पास प्रथम किस्त की ₹1.07 करोड़ की धनराशि अवशेष पड़ी थी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹85.50 लाख की धनराशि निर्गत (जून 2016) की गयी जिसका उपयोग करके (नवंबर 2016) 59 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त हुयी। इसके पश्चात्, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्यों को निर्बाध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से अग्रेतर किस्त निर्गत किये जाने के लिए कई बार अनुरोध¹⁴ किया गया। यद्यपि, शासन द्वारा दिसम्बर 2016 में ₹66.47 लाख की तृतीय किस्त निर्गत की गयी। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नवम्बर 2017 में ₹47 लाख एवं जून 2019 में ₹28.97 लाख, अर्थात्, निधि जारी करने के प्रथम अनुरोध किये जाने (दिसम्बर 2016) के क्रमशः 11 माहों एवं 29 माहों के विलम्ब के बाद अवमुक्त की गयी। अग्रेतर, शासन द्वारा दो वर्ष आठ माह के पश्चात् अंतिम किस्त के रूप में ₹80.97 लाख स्वीकृत किया गया (अगस्त 2019)।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि कार्य प्रारम्भ किये जाने के चार वर्षों से अधिक समय के पश्चात् दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया (मार्च 2019) परन्तु इसमें कार्य पूर्ण किये जाने की नियत तिथि की प्रतिबद्धता का कोई उल्लेख नहीं था, जो दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की गम्भीरता में कमी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत की गई (मई 2021) प्रगति आख्या के अनुसार, तीनों स्पोर्ट्स कोर्ट, क्रिकेट फील्ड एवं पैवेलियन के समस्त स्वीकृत कार्य अपूर्ण थे। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं लेखापरीक्षा दल द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितम्बर 2021) में यह पाया गया कि निर्माण कार्य अपूर्ण था एवं नवम्बर 2019 से कार्य बन्द था। स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन हेतु वार्डेन, खेल प्रशिक्षक, अनुदेशक एवं गार्ड के पदों की नियुक्ति अभी भी की जानी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2022) कि मानचित्रों के अनुमोदन, मृदा परीक्षण, संरचनात्मक मानचित्रों के पुनरीक्षण एवं विस्तृत आगणन तैयार करने में विलम्ब के कारण कार्य आठ महीनों के विलम्ब के पश्चात् प्रारम्भ किया गया। शासन ने यह भी कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹4.61 करोड़ अवमुक्त किये जा चुके थे एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम का 30 प्रतिशत कार्य अभी भी अपूर्ण था (अप्रैल 2022) एवं कार्यदायी संस्था से कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने एवं 31 मई 2022 तक हस्तांतरित कराने का अनुरोध (मई 2022) किया गया था। इस सन्दर्भ में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि निर्माण कार्य विगत तीन वर्षों से बन्द था एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी भी पूर्ण किया जाना शेष था। हालाँकि, लेखापरीक्षा, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों¹⁵ द्वारा

¹⁴ 21 दिसम्बर 2016, 31 मार्च 2017, 10 जुलाई 2017, 20 जुलाई 2017।

¹⁵ मानचित्रकार, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कार्य अधीक्षक।

किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवम्बर 2022) में पाया गया कि बास्केटबाल कोर्ट एवं टेनिस कोर्ट का कार्य पूर्ण हो गया था जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगति में थी जबकि अन्य विभिन्न¹⁶ कार्य अभी भी पूर्ण किये जाने थे। इसके अतिरिक्त, बालीबाल कोर्ट क्रिकेट फील्ड और क्रिकेट पैवेलियन अपूर्ण थे और कोई निर्माण गतिविधि मौजूद नहीं थी।

तथ्य यह रहा कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के निष्पादन में शिथिलता के साथ-साथ निधियों को अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के कारण स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण सात वर्ष के व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, अपूर्ण स्टेडियम पर ₹ 4.61 करोड़ का व्यय उपयोग में नहीं लाया जा सका जिसके कारण दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा।

गृह विभाग

2.4 अप्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अलाभकारी व्यय

कार्य के आरम्भ होने में विलम्ब, अप्रभावी अनुश्रवण एवं पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप बैफल फायरिंग रेंज का कार्य अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त, निर्माण पर हुए ₹5.81 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा तथा कार्य की लागत भी ₹2.41 करोड़ से बढ़कर ₹6.39 करोड़ हो गयी।

शासन ने 10वीं पी0ए0सी0 बटालियन, बाराबंकी में बैफल फायरिंग रेंज¹⁷ के निर्माण कार्य हेतु ₹2.41 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2011) एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया। स्वीकृति के अनुसार (i) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तरदायी होंगे; (ii) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा; (iii) वित्तीय स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा; (iv) समय एवं लागत वृद्धि न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया जाएगा और (v) कार्य को 30 सितम्बर 2012 तक पूर्ण करके विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2018) एवं पुलिस मुख्यालय से एकत्र की गयी सूचना (मई 2021) से ज्ञात हुआ कि शासन ने ₹2.41 करोड़ की धनराशि तीन किशतों¹⁸ में अवमुक्त की थी, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नवम्बर 2011 से मई 2015 के दौरान हस्तान्तरित¹⁹ की गयी थी। तथापि, निम्नलिखित कारणों से बैफल फायरिंग रेंज का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा:

- पुलिस मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में यह अपेक्षित था। ₹ एक करोड़ की प्रथम किशत निर्गत किये जाने के सात माह पश्चात मई 2012 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा 10वीं पी0ए0सी0 बटालियन के समक्ष साईट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। हालांकि, पी0ए0सी0 द्वारा सितम्बर 2012 तक

¹⁶ शौचालय, चेंजिंग रूम, कोच रूम, अनुदेशक रूम, लाकर रूम, आंतरिक जलापूर्ति, आंतरिक विद्युतीकरण, फर्निशिंग और खेल के सामानों का क्रय।

¹⁷ बैफल फायरिंग रेंज का निर्माण पुलिस कार्मिकों को अनिवार्य वार्षिक फायरिंग अभ्यास करने हेतु एक उपयुक्त स्थान प्रदान किये जाने के उद्देश्य से किया जाता है।

¹⁸ अक्टूबर 2011, दिसम्बर 2014 एवं मई 2015 में क्रमशः ₹100 लाख, ₹70 लाख एवं ₹71.18 लाख।

¹⁹ नवम्बर 2011, दिसम्बर 2014 एवं मई 2015 में क्रमशः ₹100 लाख, ₹70 लाख एवं ₹71.18 लाख उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को हस्तांतरित किये गये।

कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने (नवम्बर 2012) कार्य की तकनीकी विशिष्टियों को उसके पुनरीक्षण हेतु चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ को अग्रसारित कर दिया। चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ ने (दिसम्बर 2012) ₹6.62 लाख के परामर्श शुल्क की मांग की, जिसे पुलिस मुख्यालय द्वारा जून 2013 में अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा सितम्बर 2013 में इसका भुगतान किया गया। चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की अनुशंसाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये (मार्च 2014) पुनरीक्षित प्लान को, पुलिस मुख्यालय द्वारा अप्रैल 2014 में अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्य को मई 2014 में प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार, साईट प्लान प्रस्तुत करने, परियोजना की तकनीकी विशिष्टियों के अन्तिमीकरण, चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के परामर्श शुल्क के अनुमोदन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एवं पुलिस मुख्यालय दोनों के ही स्तर से परिहार्य विलम्ब हुए, जिसके कारण वित्तीय स्वीकृति के एक माह अंदर कार्य प्रारम्भ होने के स्थान पर, स्वीकृति की तिथि से लगभग ढाई वर्ष के विलम्ब से कार्य प्रारम्भ हुआ।

- निर्गत की गई ₹2.41 करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग माह नवम्बर 2015 तक कर लिया गया जबकि कार्य की भौतिक प्रगति 35 प्रतिशत थी एवं धन के अभाव के कारण जनवरी 2016 में निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इस दौरान, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने इस आधार पर आगणन का पुनरीक्षण (जुलाई 2014) किया कि मूल आगणन वर्ष 2010 की दर अनुसूची के आधार पर तैयार किया गया था एवं चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा सुझाई गई विशिष्टियों के अनुसार आधारभूत संरचना में परिवर्तन किये गये थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुनरीक्षित आगणन को अगस्त 2015 में शासन को अग्रसारित किया गया। यद्यपि, शासन द्वारा पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत करने में पांच वर्ष से अधिक समय लिया गया एवं अक्टूबर 2020 में ₹6.39 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी। हालांकि, शासन की स्वीकृति में कार्य के समापन की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। अग्रेत्तर, कार्य हेतु ₹3.98 करोड़ की धनराशि दो किश्तों²⁰ में निर्गत की गयी थी। परिणामतः पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में विलम्ब एवं मध्यवर्ती अवधि में धनाभाव के कारण बैफल फायरिंग रेंज के निर्माण का कार्य जनवरी 2016 से नवम्बर 2020 के बीच बन्द रहा।
- जुलाई 2022 तक ₹5.81 करोड़ का व्यय किये जाने के उपरान्त कार्य की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य के आरम्भ में विलम्ब, अप्रभावी अनुश्रवण एवं पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में विलम्ब के परिमास्वरूप बैफल फायरिंग रेंज का कार्य अपूर्ण था, इसके अतिरिक्त, अपूर्ण कार्य पर ₹5.81 करोड़ के व्यय को उपभोग में नहीं लाया जा सका। अग्रेत्तर, कार्य की लागत भी ₹2.41 करोड़ से बढ़कर ₹6.39 करोड़ हो गई।

शासन ने उत्तर (मई 2022) में बताया कि कार्य गैर मानकीकृत प्रकृति का होने के कारण चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला का अनुमोदन आवश्यक था, जिसके कारण कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ। लागत में वृद्धि चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा सुझाई गई विशिष्टियों के परिवर्तन के कारण हुई। शासन ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्य निष्पादन हेतु समझौता ज्ञापन शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

²⁰ अक्टूबर 2020 एवं सितम्बर 2021 में क्रमशः ₹2.50 करोड़ एवं ₹1.48 करोड़।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला से आवश्यक परामर्श, आगणन तैयार एवं अनुमोदित किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्राप्त करना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत करने में पाँच वर्ष से अधिक समय लिया गया जिसके कारण कार्य जनवरी 2016 से नवम्बर 2020 के बीच बन्द रहा।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

2.5 एक्सकैवेटर्स के क्रय पर अनियमित भुगतान

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शारदा नहर खण्ड, लखनऊ द्वारा पांच एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर्स की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹91.09 लाख सेंटेज की धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (मार्च-2006²¹) के अनुसार, राज्य सरकार की निर्माण एजेंसियों को निर्माण कार्यों के अलावा अन्य कार्यों जैसे साज-सज्जा, फर्नीचर और अन्य क्रय की गई वस्तुओं पर कोई सेंटेज शुल्क नहीं दिया जाएगा।

अधिशाली अभियंता, शारदा नहर खण्ड, लखनऊ (खण्ड) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2019) में पाया गया कि गोमती रिवर फ्रंट एवं संबद्ध कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (यू.पी.पी.सी.एल.) के साथ पांच एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर्स (ए.एच.ई.) क्रय करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादन की अनुमति²² (दिसम्बर 2015) प्रदान की गयी थी। एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर्स (ए.एच.ई.) की आपूर्ति, प्रबंधन और संचालन की परियोजना के लिए शासन द्वारा ₹19.76 करोड़ लागत की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2016) प्रदान की गई थी। तदनुसार, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के साथ समझौता ज्ञापन²³ पर हस्ताक्षर किए गए (मार्च 2016) एवं शारदा नहर खण्ड ने उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹19.23 करोड़²⁴ का भुगतान किया (मार्च 2016) जिसमें पांच ए.एच.ई. (₹13.25 करोड़) की आपूर्ति एवं प्रवर्तन में लाने हेतु भुगतान, संचालन शुल्क (₹2.70 करोड़) तथा तीन साल के लिए रख-रखाव शुल्क (₹1.88 करोड़), सेंटेज चार्ज (₹1.23 करोड़²⁵) और श्रम उपकर (₹0.17 करोड़) सम्मिलित था।

अग्रेतर जांच में पाया गया:

- चूंकि क्रय की गई मर्दों पर सेंटेज शुल्क देय नहीं था, पांच ए.एच.ई. की आपूर्ति एवं प्रवर्तन में लाने हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को ₹91.09 लाख²⁶ के सेंटेज शुल्क का भुगतान अनियमित था।
- मार्च 2016 में यू.पी.पी.सी.एल. को भुगतान करने के बावजूद उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर भी जमा नहीं किया गया

²¹ उ0प्र0 शासन आदेश संख्या ई-8-303/10-06-89/2004 दिनांक 02 मार्च 2006।

²² सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता की अनुशंसा के आधार पर अनुमति प्रदान की गई।

²³ संख्या-01/एस.ई. 12^{वां} मण्डल, आई.डब्ल्यू./दिनांक 30 मार्च 2016।

²⁴ वाउचर संख्या-611 एच दिनांक 30.3.2016।

²⁵ एक्सकैवेटर्स की आपूर्ति पर ₹91.09 लाख और तीन वर्षों के लिए एक्सकैवेटर्स के रख-रखाव और संचालन पर ₹31.44 लाख का सेंटेज शुल्क।

²⁶ पांच एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर्स की लागत (₹13.25 करोड़) का 6.875 प्रतिशत।

था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर यू.पी.पी.सी.एल. ने लेबर सेस का ₹13.25 लाख खण्ड को वापस कर दिया (जुलाई 2022)।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया (अगस्त 2022) गया कि राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था और सेंटेज शुल्क का भुगतान किया गया था क्योंकि कार्य में संचालन और रख-रखाव सम्मिलित था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा की गयी टिप्पणी ए.एच.ई. के संचालन और रख-रखाव पर सेंटेज शुल्क से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पांच ए.एच.ई. की लागत पर भुगतान किए गए सेंटेज शुल्क से संबंधित है, जिसके लिए सेंटेज शुल्क स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार, शारदा नहर खण्ड ने पांच ए.एच.ई. की आपूर्ति के सापेक्ष उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹91.09 लाख के सेंटेज शुल्क का अनियमित भुगतान किया।

2.6 ठेकेदार को अधिक भुगतान

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बाढ़ खण्ड, बरेली द्वारा ठेकेदार को रामगंगा बैराज के कार्यों में डिवाटरिंग शुल्क हेतु ₹33.66 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के पैराग्राफ-367 में उल्लिखित है कि अभियन्ता और उनके अधीनस्थ यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी हैं कि अनुबंध की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने रामगंगा बैराज के निर्माण एवं सम्बद्ध कार्यों हेतु ठेकेदार के साथ ₹187.09 करोड़ की लागत का एक अनुबंध बांड²⁷ निष्पादित किया (अक्टूबर 2011), जिसमें कार्य प्रारम्भ होने और पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्रमशः अक्टूबर 2011 और अक्टूबर 2014 थी। निर्धारित पूर्णता तिथि को कई चरणों में जून 2019 तक बढ़ाया गया था। कार्य अभी भी पूर्ण होना बाकी था (जुलाई 2022)। कार्य का निष्पादन बाढ़ खण्ड, बरेली द्वारा किया जा रहा था।

अनुबंध में प्राविधानित²⁸ था कि 'नींव के डिवाटरिंग' कार्य हेतु भुगतान किलो वाट घंटे (के0डब्ल्यू0एच0) में मापी गई बिजली की खपत के आधार पर किया जाना था। अनुबंध के अनुसार, 20 लाख के0डब्ल्यू0एच0 का भुगतान पूर्ण निविदा दरों (₹39 प्रति के0डब्ल्यू0एच0) पर किया जाना था और उसके बाद भुगतान यू0पी0एस0ई0बी0²⁹ की प्रति के0डब्ल्यू0एच0 टैरिफ दर से देय था। हालांकि, ऐसे कारणों से जो कि ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हों, यदि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद डिवाटरिंग की जानी थी, तो डिवाटरिंग के लिए भुगतान 20 लाख के0डब्ल्यू0एच0 की सीमा से अधिक होने के पश्चात भी निविदा दरों पर किया जायेगा। अनुबंध में आगे प्रावधान किया गया था कि किसी भी कार्य सत्र में प्रथम छः लाख के0डब्ल्यू0एच0 का भुगतान पूर्ण निविदा दर पर किया जाना था और उससे अधिक बिजली की खपत हेतु भुगतान तत्समय लागू यू0पी0एस0ई0बी0 के प्रति किलोवाट के टैरिफ दर पर किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी-फरवरी 2020) में पाया गया कि खण्ड द्वारा अनुबंध की विस्तारित अवधि में चौथे और पांचवें कार्य

²⁷ अनुबंध संख्या 5/एसई/2011-12।

²⁸ अनुबंध का क्लॉज 20.060 (डी) एवं (ई)।

²⁹ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।

सत्र³⁰ के दौरान कुल बिजली खपत (122.36 लाख के0डब्ल्यू0एच0) हेतु ₹ 39 प्रति किलोवाट घंटे की पूर्ण निविदा दर पर नींव के डिवाटरिंग हेतु भुगतान किया गया। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिवाटरिंग कार्य की मात्रा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मुख्य अभियंता (पूर्वी गंगा) के निर्देशानुसार (मार्च 2016), पूर्ण निविदा दर पर भुगतान किया गया था। यद्यपि, यह अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था, जिसमें विशेष रूप से किसी भी कार्य सत्र में प्रथम 6 लाख के0डब्ल्यू0एच0 के लिए पूर्ण निविदा दर पर भुगतान प्राविधानित था और नींव की डिवाटरिंग के लिए शेष बिजली की खपत का भुगतान यू0पी0एस0ई0बी0 के प्रति किलोवाट घंटा टैरिफ दर पर किया जाना था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान को विनियमित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप पूर्ण निविदा दर पर 110.36 लाख के0डब्ल्यू0एच0³¹ के भुगतान के कारण ठेकेदार को ₹33.66 करोड़³² का अधिक भुगतान हुआ।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2022) कि कार्य के निष्पादन के दौरान डिजाइन में परिवर्तन के कारण डिवाटरिंग की मात्रा में वृद्धि हुई थी और ठेकेदार को अनुबंध के क्लॉज 20.06 (डी) के तहत मुख्य अभियंता (पूर्वी गंगा) के निर्देशानुसार अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान पूर्ण निविदा दर पर भुगतान किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अनुबंध का क्लॉज 20.060 (ई) विशेष रूप से कार्य सत्र के आधार पर 'नींव के डिवाटरिंग' पर बिजली की खपत के भुगतान को नियमित करने के लिए प्राविधानित था, जो अनुबंध की एक अधिभावी शर्त³³ थी एवं इस प्रकार, यह अनुबंध की विस्तारित अवधि में किये गये डिवाटरिंग के लिए लागू थी। विभाग द्वारा मामले की जांच की जानी चाहिये और इसके लिये जिम्मेदार मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

2.7 ठेकेदार को अनधिकृत सहायता

राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 द्वारा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को ₹20 करोड़ का ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम भुगतान किया गया, जिससे राज्य सरकार को ₹5.14 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI का पैराग्राफ-367, अन्य बातों के साथ, यह निर्धारित करता है कि अभियन्ता और उनके अधीनस्थ उत्तरदायी हैं कि अनुबंध की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए और अनुबंध को रद्द करने या निष्प्रभाव करने के लिए कोई कार्य ना हो।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मंडल-2, बस्ती द्वारा 80.000 किमी से 114.000 किमी के बीच राप्ती मुख्य नहर के निर्माण एवं इसकी वितरण प्रणाली हेतु ठेकेदार के साथ ₹360.89 करोड़ हेतु एक अनुबंध निष्पादित

³⁰ खपत की गई 21.14 लाख किलोवाट बिजली का भुगतान (जुलाई 2022) अभी किया जाना शेष था, दर पर निर्णय लंबित था।

³¹ चौथे और पांचवें कार्य सत्र में बिजली की खपत (122.36 लाख के0डब्ल्यू0एच0) में से पूर्ण निविदा दर पर अनुमन्य (12 लाख के0डब्ल्यू0एच0) को घटाते हुये।

³² वर्ष 2017-18 के दौरान एलएमवी-9 उपभोक्ता कनेक्शन हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के टैरिफ ₹ 8.50 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 के बजाय निविदा दर ₹39 प्रति किलोवाट की दर से भुगतान किया गया था (सितंबर 2017 में डिवाटरिंग हेतु अंतिम भुगतान किया गया था)।

³³ अनुबंध में विपरीत प्रभाव के लिए निर्धारित किसी भी चीज के होते हुए भी, नींव के डिवाटरिंग हेतु भुगतान निम्नलिखित शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:- कार्य सत्र (अक्टूबर से जून) के दौरान, बिजली की प्रथम 6 लाख के0डब्ल्यू0एच0 बिजली की खपत के लिए भुगतान पूर्ण निविदा दर से होगा, जैसा कि मात्रा और बोलियों में निर्धारित किया गया है और उससे अधिक बिजली की खपत के लिए भुगतान उस अवधि में यू0पी0एस0ई0बी0 के टैरिफ प्रति किलोवाट घंटा की दर से किया जाएगा। [क्लॉज 20.060 (ई)]।

(अप्रैल 2013) किया गया था। अनुबंध की सामान्य शर्तों का क्लॉज 4(ए) प्रदान करता है कि ठेकेदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर कार्य के लिए आवश्यक और ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए नए संयंत्र और मशीनरी (टी एंड पी अग्रिम) के लिए अग्रिम दिया जाएगा। इस प्रकार के अग्रिम की अधिकतम धनराशि अनुबंध की धनराशि का 10 प्रतिशत होगी और ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए ऐसे नए संयंत्र और उपकरण के मूल्य के 90 प्रतिशत तक सीमित होगी, जिसके लिए ठेकेदार संतोषजनक साक्ष्य पेश करेगा। शर्त आगे निर्धारित करती है कि कार्य प्रारम्भ करने की सूचना की तिथि से 06 माह पश्चात् संयंत्र और उपकरण के लिए कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 3 के अन्तर्गत, टी एंड पी अग्रिम, कार्य पूरा करने की प्रथम एक चौथाई अवधि के दौरान स्वीकार्य था।

अधिकांश अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2021) में पाया गया कि ठेकेदार को 19 अप्रैल 2013 को 80.000 किमी से 114.000 किमी के बीच राप्ती मुख्य नहर के निर्माण एवं इसकी वितरण प्रणाली के अनुबंध के तहत निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि के रूप में अधिसूचित³⁴ किया गया था। अक्टूबर 2014 में, ठेकेदार ने ₹36.63 करोड़ के टी एंड पी अग्रिम के लिए आवेदन किया और मुख्य अभियंता (सरयू परियोजना-2) के निर्देशों (नवंबर 2014) के अनुपालन में, अधिकांश अभियन्ता ने नए उपकरणों एवं संयंत्रों की खरीद के लिए ठेकेदार को ₹20.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2015)। इस प्रकार, ठेकेदार को टी एंड पी अग्रिम दिया गया था, जब की ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ³⁵ होने की तारीख से 17 माह से अधिक समय के पश्चात् इसके लिए आवेदन किया था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा खरीदे गए नए संयंत्र और उपकरणों के लिए अग्रिम दिया जाना चाहिए था। परन्तु, ठेकेदार द्वारा मशीनरी की खरीद के समर्थन में अधिकांश अभियन्ता द्वारा प्रदान किए गए बीजक (इनवाइस) (अक्टूबर 2021) की प्रतियों से ज्ञात हुआ कि प्रस्तुत इनवाइस मार्च 2010 और नवंबर 2013 के मध्य की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा खरीदी गई मशीनरी से संबंधित थे। इस प्रकार, ₹20 करोड़ के ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम के भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनाधिकृत सहायता मिली।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2022) कि नई मशीनरी की आवश्यकता वर्ष 2014 में एक नए कंक्रीट कार्य 'अंडर रीम्ड पाइल्स' के कारण अनुभव की गई थी और इसलिए, ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों में ढील देकर मशीनरी अग्रिम के लिए अनुरोध किया। मुख्य अभियन्ता के निर्देशों के दृष्टिगत कार्यहित में ठेकेदार को मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया था। शासन ने आगे बताया कि ठेकेदार को भुगतान किये गये मशीनरी अग्रिम की वसूली कर ली गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मशीनरी अग्रिम का भुगतान कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह बाद किया गया था जो कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था। इसके अलावा, अभिलेखित कोई साक्ष्य नहीं था कि ठेकेदार ने वर्ष 2014 में/उसके बाद नई मशीनरी खरीदी जब नई मशीनरी के लिए उक्त आवश्यकता महसूस की गई थी। इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप न केवल ठेकेदार को अनाधिकृत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई बल्कि ब्याज³⁶ पर शासन को ₹5.14 करोड़ की हानि हुई।

³⁴ अधीक्षण अभियंता राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2013 के द्वारा।

³⁵ 30 माह में काम पूरा करना था।

³⁶ उस अवधि के बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर के आधार पर अग्रिम के समायोजन तक संगणित अर्थात् 8.19, 7.79, 8.34, 7.99, 8.06 और 7.83 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर गणना की गई जो क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण पर वहन किए गए।

2.8 म्यूजिकल फाउंटैन पर निष्फल व्यय

गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना के लिए अपूर्ण प्राक्कलन के आधार पर आयातित म्यूजिकल फाउंटैन स्थापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹49.59 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(i) उत्तर प्रदेश प्रोक्यूरमेंट मैनुअल (सामग्री की खरीद) 2016 के पैराग्राफ 13.2 (5) में प्राविधान है कि जहां विभाग को लगता है कि आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टताओं आदि की सामग्री देश में उपलब्ध नहीं हो सकती है और/या विदेशों से उपयुक्त प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों को देखना भी आवश्यक है, विभाग निविदा सूचना की प्रतियां विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ-साथ भारत में विदेशी दूतावासों को भेज सकता है, जिसमें उनसे वैश्विक निविदा के लिए उन देशों में आवश्यकता का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया जा सकता है। नियमावली में आगे प्रावधान किया गया है कि सामान्यतया, जहां विभाग विदेश से बोलियां प्राप्त करने पर भी विचार करता है, वहां बोलियां प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम चार सप्ताह/30 दिन का समय दिया जा सकता है।

अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ मंडल शारदा नहर, लखनऊ के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2017 एवं मार्च 2019) में पाया गया कि उ0प्र0 शासन ने रिवरफ्रंट विकास परियोजना के एक हिस्से के रूप में 'गोमती नदी के तट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजिकल फाउंटैन वाटर शो' स्थापित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2016)। व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) ने म्यूजिकल फाउंटैन वाटर शो के लिए ₹45.00 करोड़ की धनराशि को इस आधार पर अनुमोदित (अप्रैल 2015) किया कि इस तरह के फाउंटैन भारत में निर्मित नहीं होते हैं और उन्हें एक विदेशी कंपनी से खरीदना होगा। अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ (एस.ई.) ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अनुरोध किया (8 जुलाई 2016) कि अंग्रेजी और हिंदी प्रत्येक के दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 'अंतरराष्ट्रीय मानकों के म्यूजिकल फाउंटैन वाटर शो' की खरीद के लिए एक 'वैश्विक कोटेशन' प्रकाशित किया जाए। अधीक्षण अभियन्ता का अनुरोध 18 जुलाई 2016 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्राप्त हुआ था और कोटेशन आमंत्रण सूचना 21 और 22 जुलाई 2016 को चार समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि यद्यपि, निविदा को 'वैश्विक कोटेशन' कहा गया था, विभाग ने उत्तर प्रदेश खरीद नियमावली (सामग्री की खरीद) 2016 के पैराग्राफ 13.2 (5) के तहत वैश्विक निविदा जांच के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया। निविदा जांच विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ-साथ भारत में विदेशी दूतावासों को भी भेजा जाना चाहिए था। परन्तु, निविदा केवल समाचार पत्रों में ही प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारित न्यूनतम चार सप्ताह के प्रतिकूल कोटेशन जमा करने के लिए केवल 16 दिन का समय दिया गया था। परिणामस्वरूप, बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का अभाव था और इस प्रक्रिया में केवल दो फर्मों ने भाग लिया। इन बोलियों में से, विभाग द्वारा मेसर्स एक्वाटिक शो, एक विदेशी फर्म के 55,95,000 यूरो (₹41.43 करोड़ के बराबर) के कोटेशन को सबसे कम और मेसर्स प्रीमियर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोलकाता की ओर से ₹51.26 करोड़ के अन्य कोटेशन को दूसरे सबसे कम के रूप में निर्धारित किया गया। विभाग द्वारा मेसर्स एक्वाटिक शो के साथ अनुबन्ध किया गया। तथापि, विभाग दो बोलियों की तुलना करते समय मेसर्स एक्वाटिक शो से आपूर्ति पर देय सीमा शुल्क और मेसर्स प्रीमियर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कोटेशन पर लागू करों को ध्यान में रखने में विफल रहा। इनके अभाव में, दो बोलियों की तुलनीयता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, म्यूजिकल फाउण्डेशन के लिए बोलियां आमंत्रित करने और अंतिम रूप देने में पेशेवर विफलता थी जिसकी राज्य सरकार द्वारा सतर्कता की दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए।

(ii) उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI का पैराग्राफ 318 निर्धारित करता है कि किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृति इस बात की गारंटी है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही है और प्राक्कलन सही गणना और पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है।

समीक्षा में आगे पाया गया कि म्यूजिकल फाउण्डेशन के डिजाइन एवं आपूर्ति के लिए ₹44.69 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति, संबंधित सिविल/विद्युत कार्यों की लागत को सम्मिलित किए बिना और फाउण्डेशन के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान का प्रावधान किए बिना जारी की गई थी (अगस्त 2016)।

मुख्य अभियंता (शारदा सहायक) लखनऊ (सी.ई.) ने मेसर्स एक्वाटिक शो को 55.95 लाख यूरो (₹41.43 करोड़ के बराबर) की लागत पर म्यूजिकल फाउण्डेशन की खरीद और डिजाइन के लिए आपूर्ति आदेश जारी किया (सितंबर 2016) और अनुबंध के अनुसार, म्यूजिकल फाउण्डेशन का प्रदर्शन जनवरी 2017 में प्रारम्भ किया जाना था। फर्म को म्यूजिकल फाउण्डेशन की आपूर्ति के लिए 50.36 लाख यूरो (₹37 करोड़ के बराबर) का भुगतान³⁷ किया गया था और शेष 10 प्रतिशत फाउण्डेशन के चालू होने के बाद देय था। विभाग द्वारा म्यूजिकल फाउण्डेशन उपकरण की खरीद पर ₹12.59 करोड़ के सीमा शुल्क और अन्य शुल्क भी वहन किए गये। इस प्रकार, म्यूजिकल फाउण्डेशन पर किया गया ₹49.59 करोड़ का कुल व्यय ई.एफ.सी. द्वारा अनुमोदित ₹45.00 करोड़ की लागत से अधिक था। तथापि, संबंधित सिविल/विद्युत कार्य अभी तक निष्पादित नहीं किए गए थे और उनकी अनुमानित लागत अभी भी तय नहीं की गई थी। म्यूजिकल फाउण्डेशन उपकरण जुलाई 2022 तक, यानी पांच साल से अधिक समय से बिना स्थापित पड़ा हुआ था।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2022) कि वर्तमान में गोमती नदी परियोजना की सीबीआई/ईडी की जांच चल रही है और इस जांच के पूरी होने के बाद म्यूजिकल फाउण्डेशन की स्थापना का प्रस्ताव है।

तथ्य यह है कि गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना हेतु म्यूजिकल फाउण्डेशन की खरीद के लिए निविदा जांच और बोली मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसके अलावा, म्यूजिकल फाउण्डेशन के लिए लागत प्राक्कलन संबंधित बिजली/सिविल कार्य का प्राविधान किए बिना तैयार/अनुमोदित किया गया था, जिसके कारण यह स्थापित नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप ₹49.59 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

2.9 किच्छा-पहा फीडर नहर में साइफन की पुनर्स्थापना पर निष्फल व्यय।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बिना सर्वेक्षण के परियोजना के निर्माण के कारण किच्छा-पहा फीडर नहर में साइफन की पुनर्स्थापना पर ₹2.70 करोड़ का निष्फल व्यय।

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड-VI के पैराग्राफ 318 में अन्य बातों के साथ-साथ प्राविधान है कि किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृति इस बात की गारंटी है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही है और प्राक्कलन सही गणना और पर्याप्त आंकड़ों पर

³⁷ सितंबर 2016 में यूरो 22.38 लाख और दिसंबर 2016 में यूरो 27.98 लाख।

आधारित है। उत्तर प्रदेश बजट नियमावली का पैराग्राफ 174 (16), उचित प्रारंभिक सर्वेक्षण किए बिना कार्यों की शुरुआत के कारण किसी भी गैर-आर्थिक या स्पष्ट रूप से फिजूलखर्ची को वित्तीय अनियमितता मानता है।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड में गोला नदी पर स्थित किच्छा बैराज के दायें किनारे से निकलने वाले 6.1 किमी लंबे किच्छा-पहा (के.पी.) फीडर द्वारा ऊधम सिंह नगर और बरेली जनपदों में नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। के.पी. फीडर के 1.20 किमी पर हंसिया नाले पर निर्मित एक साइफन, बाढ़ (सितंबर 1993) से क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः रुहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली ने साइफन एवं अन्य संबद्ध कार्यों³⁸ के पुनर्निर्माण हेतु एक परियोजना प्रस्तावित (अगस्त 2013) की, जिसके लिए राज्य सरकार ने ₹2.70 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अगस्त 2014) प्रदान की थी।

अधिकांश अभियन्ता, रुहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली (ई.ई.) के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2020) में पाया गया कि परियोजना की तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2014) मुख्य अभियंता (शारदा), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रदान की गई थी। कार्य का निष्पादन 2014-17 के दौरान किया गया जिस पर मार्च 2017 तक ₹2.70 करोड़ का व्यय हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पानी को के.पी. फीडर में मोड़ने के लिए बैराज में जल स्तर 203.00 मीटर पर बनाए रखा जाना था। यद्यपि, परियोजना के पूरा होने (मार्च 2017) पर जब के.पी. फीडर को चालू करने के प्रयास किए गए, तो विभाग द्वारा यह देखा गया कि बैराज में 202.35 मीटर जल स्तर भरने पर ही बैराज के ऊपरी धारा के दाहिने किनारे पर स्थित खेतों में बाढ़ शुरू हो गई। परिणामस्वरूप, प्रभावित किसानों³⁹ के विरोध के कारण के.पी. फीडर चालू नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा खण्ड के अभिलेखों में यह भी पाया गया कि नदी ने पिछले लगभग 20 वर्षों के दौरान, अर्थात् 1993 और 2013 के मध्य, जब के.पी. फीडर क्षतिग्रस्त साइफन के कारण संचालन में नहीं था, अपना मार्ग बदल दिया था। तथापि, विभाग द्वारा इस कारक को ध्यान में नहीं रखा गया और परियोजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पहले कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। परियोजना के पर्याप्त निरूपण में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप, साइफन और अन्य संबद्ध कार्यों के निर्माण पर ₹2.70 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी के.पी. फीडर चालू नहीं किया जा सका।

उत्तर में, अधिकांश अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया (फरवरी 2020) कि कार्य के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था क्योंकि हंसिया नाले पर के.पी. फीडर साइफन को पूर्व ढांचे के स्थान पर पुनर्निर्मित किया गया था। अधिकांश अभियंता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि फीडर निष्क्रिय था क्योंकि यदि फीडर में पानी छोड़ा जाता है तो बैराज के ऊपर की ओर निचला जलग्रहण क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। शासन ने आगे बताया (अगस्त 2022) कि साइफन की पुनर्स्थापना को निष्फल व्यय कहना उचित नहीं है क्योंकि जब भी नहर चलाने का अवसर मिलेगा, साइफन की उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी।

³⁸ नाले के दोनों ओर साइफन के ऊपर की ओर 200 मीटर लंबे गाइड बांधों का निर्माण, जंगल/सिल्ट सफाई, फाटकों की मरम्मत और नहर एवं सर्विस रोड के किनारों को मजबूत करना।

³⁹ खण्ड के एक सहायक अभियंता द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि चूंकि कृषि भूमि का स्तर समुद्र तल से 202.10 मीटर और 202.75 मीटर के बीच है; के.पी. फीडर को 203.30 मीटर तक भरने से किसानों की कृषि भूमि जलमग्न हो जाएगी।

तथ्य यह है कि के.पी. फीडर पुनर्निर्माण कार्यों को पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना कराया गया था जिसके कारण ₹2.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, क्योंकि मार्च 2017 में परियोजना के पूरा होने के बावजूद के.पी. फीडर में सिंचाई सुविधा बहाल नहीं की जा सकी। इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

2.10 ब्याज की हानि

शासकीय आदेश के विरुद्ध बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर द्वारा बचत बैंक खाता के स्थान पर चालू खातों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹1.62 करोड़ के ब्याज की हानि।

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी (मार्च 2012) किया कि विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा कोषागार से आहारित सरकारी निधियों को बैंक/डाकघर में रखना कोषागार नियमों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और निर्देश दिया कि जिन प्रकरणों में विभागों/संस्थाओं आदि के बैंक खाते राज्य सरकार के विशिष्ट अनुमोदन से खोले गये हैं, वहां चालू खाते के स्थान पर बचत बैंक खाता खोलने की कार्यवाही की जाये।

प्रधानाचार्य, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के अभिलेखों की जांच (जनवरी-फरवरी 2020) में पाया गया कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित 11 बैंक खातों में से चार⁴⁰ चालू खाते भारतीय स्टेट बैंक में संचालित किए जा रहे थे और अन्य सात खातों को बचत खातों के रूप में संचालित किया गया था। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2016 से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान इन चालू खातों में रखे ₹1.01 लाख और ₹15.42 करोड़ के बीच शेष निधि पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, बचत बैंक खातों पर समय-समय पर लागू ब्याज दर पर संगणित किये गये ₹1.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। (परिशिष्ट-2.2)

प्रधानाचार्य, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ने तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और कहा कि बैंक द्वारा इन चालू खातों को बचत बैंक खातों में बदलने में असमर्थता व्यक्त करने पर इन चालू खातों में स्वीप मोड लागू कर दिया गया था (नवंबर 2020) और अब इन खातों पर ब्याज की कोई हानि नहीं होती है।

तथ्य यह था कि शासन की निगरानी में विफलता एवं बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज द्वारा चार चालू खातों के स्थान पर बचत बैंक खाता खोलने के लिए सही समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुलाई 2022 तक राज्य सरकार को ₹1.62 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2021)। उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

⁴⁰ (1) भारतीय स्टेट बैंक, चालू खाता सं० 10346036304, नाम- प्रधानाचार्य बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, खोलने की तिथि 18.10.2003 (2) भारतीय स्टेट बैंक, चालू खाता सं० 10346036393, नाम- अपर महानिदेशक सीएसपीके, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, खोलने की तिथि 18.10.2003 (3) भारतीय स्टेट बैंक, चालू खाता सं० 10346036064, नाम- बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, खोलने की तिथि 18.10.2003 (4) भारतीय स्टेट बैंक, चालू खाता सं० 30825556762, नाम- राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, खोलने की तिथि 21.02.2009।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.11 ₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान

जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के विलम्ब से प्रेषण के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाए गए ब्याज, क्षति एवं कर्मचारी अंशदान वसूली के कारण ₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जाना।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ अधिनियम) में प्रावधान है कि नियोक्ता कर्मचारी अंशदान को उसके वेतन से काटेगा और नियोक्ता अंशदान के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को उसका भुगतान करेगा।, ऐसा न करने पर नियोक्ता देय तिथि से उसके वास्तविक भुगतान की तिथि तक ईपीएफओ को ब्याज और हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, यदि कोई राशि बकाया है, तो नियोक्ता से वसूली की जाएगी और ऐसी वसूली संबंधित कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटी⁴¹ जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के तहत, भारत सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों⁴² को 31 मार्च 2015 तक ईपीएफ अधिनियम के संचालन से छूट (मई 2010) दी थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जिला स्वास्थ्य समितियां (डीएचएस) शामिल थीं। भारत सरकार ने इन प्रतिष्ठानों को छूट का विस्तार नहीं किया, इसलिए, ऐसे सभी प्रतिष्ठान 1 अप्रैल 2015 से ईपीएफ अधिनियम के दायरे में आ गए। इसके अलावा, भारत सरकार ने अधिसूचित⁴³ (दिसंबर 2016) किया कि नियोक्ता को कर्मचारी अंशदान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसकी कटौती 30 जून 2017 तक कर्मचारियों के वेतन से नहीं की गई है।

सात जिलों⁴⁴ के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), जो सभी जिला स्वास्थ्य समितियां (डीएचएस) के पदेन सचिव हैं, के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान अप्रैल 2015 से लगातार (परिशिष्ट-2.3) निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया था, जिसके कारण सीएमओ को ईपीएफ अधिनियम की धारा 7-क्यू और 14-बी के तहत ₹2.31 करोड़ की राशि का ब्याज और हर्जाना देना पड़ा। डीएचएस वाराणसी के मामले में, कर्मचारियों की अंशदान राशि ₹94.27 लाख भी ईपीएफओ द्वारा वसूल किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ईपीएफ अंशदान जमा करने में विलंब, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एनएचएम) के स्तर पर सीएमओ को संविदा कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ अंशदान के भुगतान के लिए निर्देश जारी करने (नवंबर/दिसंबर 2016) में विलंब के कारण हुई थी। एसपीएमयू ने ईपीएफ अंशदान जमा करने के लिए सीएमओ को निधि जारी की (मार्च 2017), इसके उपरांत भी निर्धारित समय के भीतर ईपीएफ अंशदान जमा करने में सीएमओ के स्तर पर विलम्ब हुआ।

⁴¹ कर्मचारी भविष्य निधि योजना का अध्याय 5, पैराग्राफ 32: "जहां आकस्मिक गलती या लिपिकीय त्रुटि के कारण कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती नहीं की गई है, ऐसी कटौती, निरीक्षक की लिखित सहमति से, बाद के वेतन से की जा सकती है"।

⁴² केंद्र सरकार या/और राज्य सरकार या राज्य सरकारों से या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित।

⁴³ यह एक विशेष योजना थी—'कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017' जो 01.01.2017 से 31.03.2017 के दौरान लागू थी। इस योजना को 01.04.2017 से आगे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

⁴⁴ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद (मई 2019), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी (अगस्त 2019), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज (अगस्त 2019), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी (नवंबर 2019/फरवरी 2022), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर (दिसंबर 2019), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी (फरवरी 2020)) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र (मार्च 2020)।

इस प्रकार, एसपीएमयू द्वारा ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के विलम्ब से अनुपालन और ईपीएफ अंशदान जमा करने में सीएमओ के शिथिल अभिवृत्ति के कारण, ईपीएफ कर्मचारियों के अंशदान विलम्ब से जमा करने के कारण ₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया था और ₹3.52 करोड़ की ब्याज एवं हर्जाने की देयता सृजित की गई थी। ईपीएफ अंशदान जमा करने में किये गए विलम्ब और शासन को हुई हानि की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (जनवरी 2022)। उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

2.12 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

21 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 175 चिकित्सा अधिकारियों का गलत तरीके से उच्च वेतन निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.59 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने 12 चिकित्सा अधिकारियों से ₹20.64 लाख की वसूली की।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन हेतु संशोधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश⁴⁵ (दिसंबर 2016) जारी किए। उपरोक्त निर्देश के पैरा 5(1)(बी)(1) के अनुसार, उन चिकित्सा अधिकारियों के मामले में जिनके संबंध में गैर अभ्यास भत्ता (एनपीए) स्वीकार्य था, मौजूदा मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाना था और प्राप्त राशि पर पूर्व-संशोधित एनपीए पर महंगाई भत्ते के बराबर राशि जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार आगणित राशि को वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल में प्राप्त किया जाना था और यदि ऐसा समान आंकड़ा वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में किसी भी सेल से मेल खाता है, तो वही वेतन होगा, और यदि ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं था तो वेतन मैट्रिक्स के उस लागू स्तर में तत्काल अगले उच्च सेल में स्थित राशि में तय किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन में एनपीए संशोधित होने तक पूर्व-संशोधित एनपीए को जोड़ा जाएगा। तथापि, उपरोक्त निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा, जिस पद पर ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वित्त नियंत्रक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, ने भी स्पष्ट किया (जनवरी 2020) कि 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उन चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण न्यूनतम लागू वेतन स्तर पर निर्धारित किया जाना था और इसके साथ ही, लागू एनपीए का भुगतान अलग से किया जाएगा।

मई 2019 से मार्च 2020 के दौरान 21 जिलों के 22 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ)/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस)⁴⁶ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों के पैरा 5(1)(बी)(i) के अनुसार, 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के मूल वेतन के रूप में ₹61,300⁴⁷ रुपये निर्धारित किया गया था, जबकि पैरा 5(1)(बी)(i) 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त

⁴⁵ शासनादेश-67/2016/वी-आ-1447/10-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016।

⁴⁶ सीएमओ फिरोजाबाद, सीएमओ कानपुर देहात, सीएमओ बागपत, सीएमओ पीलीभीत, सीएमओ अमेठी, सीएमओ प्रतापगढ़, सीएमओ मुजफ्फरनगर, सीएमओ वाराणसी, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ महोबा, सीएमओ मिर्जापुर, सीएमओ कानपुर नगर, सीएमओ ललितपुर, सीएमओ अयोध्या, सीएमओ अलीगढ़, सीएमओ मऊ, सीएमओ कुशीनगर, सीएमओ झांसी, सीएमओ कौशाम्बी, सीएमओ गाजीपुर, सीएमएस बाबू मोहन सिंह, जिला अस्पताल, देवरिया और एसआईसी, संभागीय जिला अस्पताल, झांसी।

⁴⁷ ₹21,000 (मूल वेतन)*2.57 गुणा कारक + ₹6,563 [एन.पी.ए. (मूल वेतन का 25 प्रतिशत) पर डीए 125 प्रतिशत की दर से] = ₹60533 या 60550, अगले उच्च सेल की राशि ₹61300।

चिकित्सा अधिकारियों के लिए लागू था। 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त ऐसे चिकित्सा अधिकारियों का वेतन उपरोक्त निर्देशों के पैरा 6 और वित्त नियंत्रक के स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित वेतन मैट्रिक्स (लागू स्तर के पहले सेल की राशि) के न्यूनतम लागू स्तर पर ₹ 56,100 के रूप में निर्धारित किया जाना था। इस प्रकार 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का मूल वेतन गलती से ₹ 5,200 अधिक निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹2.59⁴⁸ करोड़ के अधिक वेतन का भुगतान किया गया (परिशिष्ट-2.5), जिससे इन चिकित्सा अधिकारियों को भुगतान किए गए एनपीए, वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों⁴⁹ ने 12 चिकित्सा अधिकारियों से ₹20.64 लाख की वसूली की थी। सीएमओ गाजीपुर ने चिकित्सा अधिकारियों को अधिक संवितरित वेतन की वसूली के निर्देश भी दिए।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2022), उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग

2.13 कारागार की अपूर्ण चहारदीवारी पर अलाभकारी व्यय

परियोजना के निरूपण/गठन एवं मूल्यांकन स्तर पर उदासीन दृष्टिकोण अपनाये जाने और समय पर कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण, जिला कारागार मीरजापुर की चहारदीवारी का निर्माण कार्य इसकी स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहा एवं उसके निर्माण पर किया गया ₹1.42 करोड़ व्यय अलाभकारी रहा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला कारागार, मीरजापुर की वर्तमान मुख्य चहारदीवारी के बाहर 461.10 मीटर लम्बी नई मुख्य चहारदीवारी के निर्माण हेतु ₹1.42 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (फरवरी 2011) और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया था। वर्णित शासनादेश के अनुसार, महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएँ पर यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व था कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की समय सीमा और गुणवत्ता का पालन किया जाएगा। निर्माण कार्य 30 जून 2011 तक पूर्ण किया जाना था। पूर्ण स्वीकृत धनराशि को ₹71.00 लाख की दो समान किश्तों में माह फरवरी 2011 एवं मार्च 2013 में अवमुक्त किया गया था।

अधीक्षक, जिला कारागार, मीरजापुर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2018) में पाया गया कि निर्माण कार्य माह मार्च 2011 में प्रारम्भ किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान यह पाया गया कि टाईप-1 के आठ आवासीय भवन नई मुख्य चहारदीवारी के संरेखण में आ रहे थे एवं इसलिए महानिरीक्षक, कारागार की अध्यक्षता में हुई बैठक (अगस्त 2011) में चहारदीवारी के निर्माण सम्बन्धी ले-आउट प्लान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कार्यदायी संस्था से एक सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित आगणन एवं ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया (अगस्त 2011) ताकि उक्त को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके। हालांकि, कार्यदायी संस्था द्वारा दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् ₹2.39 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन एवं ले-आउट प्लान प्रस्तुत (अक्टूबर 2013) किया गया। नई चहारदीवारी के संरेखण में आवासीय भवनों के होने के कारण संशोधित ले-आउट

⁴⁸ मूल वेतन के मद में आधिक्य, वेतनवृद्धि और मंहगाई भत्ते की आगणित राशि पर आधिक्य को छोड़कर।

⁴⁹ सीएमओ वाराणसी, अलीगढ़, ललितपुर और कौशाम्बी।

प्लान में एक पैराबोलिक आकार की घुमावदार दीवार का प्रावधान किया गया था, जिसमें कार्य के स्कोप⁵⁰ में वृद्धि भी सम्मिलित थी। पुनरीक्षित आगणन, महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएँ के स्तर पर लम्बित था। इसी दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा (जुलाई 2014) ₹2.53 करोड़ का एक अन्य पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया, जिसे कुछ टिप्पणियों⁵¹ के साथ माह नवम्बर 2014 में कार्यदायी संस्था को वापस कर दिया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः (दिसम्बर 2016) ₹2.58 करोड़ का एक अन्य पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया, जिसे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएँ द्वारा पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करने में दो वर्ष की देरी के आधार पर (जनवरी 2017) कार्यदायी संस्था को वापस कर दिया गया।

माह मार्च 2018 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यदायी संस्था को कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा तय करने, अवमुक्त की गई धनराशि के साथ-साथ आवश्यक धनराशि का मिलान करने के निर्देश दिए गए थे। कार्यदायी संस्था को यह भी बताने के लिए कहा गया था कि कितनी धनराशि कार्यदायी संस्था अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर सकेगी। तथापि, न तो विभाग द्वारा और न ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई उचित कार्यवाही की गयी। परिणामस्वरूप, ₹1.42 करोड़ की सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि के अवमुक्त/उपभोग के बावजूद, कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 60 प्रतिशत थी और माह मई 2019 से निर्माण कार्य बन्द था।

अतः जिला कारागार, मीरजापुर के बाहर चहारदीवारी का निर्माण, जिसे प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2011) के चार माह के अन्दर माह जून 2011 तक पूरा किया जाना था, कार्यदायी संस्था के साथ-साथ विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण इसकी स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी अपूर्ण था और ₹1.42 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2021) कि कार्यदायी संस्था के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूसरी किश्त का गबन किया गया था और प्रकरण की जाँच एक विशेष जाँच दल द्वारा की जा रही थी। शासन द्वारा आगे बताया गया कि कार्यदायी संस्था के कई अधिकारियों/कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, वसूली के लिए कार्यवाही की गई थी और शेष कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के बाद पूर्ण किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था एवं विभाग द्वारा नई चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु मूल आगणन/ले-आउट प्लान तैयार करते समय उचित सावधानी नहीं बरती गई। जिसके कारण चहारदीवारी के निर्माण सम्बन्धी ले-आउट प्लान के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई और पुनरीक्षित ले-आउट प्लान के साथ-साथ पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति अब तक अपेक्षित थी।

⁵⁰ तीन मीटर ऊंची व 35.50 मीटर लम्बी विभाजन दीवार, 231.52 मीटर की नई पाइप लाइन, कुछ भाग में पुरानी चहारदीवारी का ध्वस्तीकरण और 6 बिजली के खम्भों की शिफ्टिंग।

⁵¹ पुनरीक्षित ले-आउट प्लान पर कारागार अधीक्षक, मीरजापुर एवं उप महानिरीक्षक, कारागार, इलाहाबाद क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर की दरों की अनुसूची के स्थान पर पुनरीक्षित आगणन में लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की दरें लगाई गयी थीं और पुनरीक्षित आगणन को महाप्रबन्धक (तकनीकी), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ, ने अनुमोदित नहीं किया था इत्यादि।

समाज कल्याण विभाग

2.14 प्रतिशत प्रभार का अधिक भुगतान

प्रतिशत प्रभार की अनुमन्यता के शासकीय आदेशों का उल्लंघन कर समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यदायी एजेंसी को ₹ दो करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तर प्रदेश के शासनादेश⁵² में प्रावधान है कि जब सरकारी कार्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या अन्य निर्माण एजेंसियों/स्वायत्त निकायों द्वारा जमा कार्यों के रूप में किया जाता है, तो इन निष्पादन एजेंसियों को कार्यों की कुल लागत में से पांच प्रतिशत की कटौती के बाद आयी लागत पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार शुल्क देय होगा।

निदेशक, समाज कल्याण के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021) से पता चला कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 96 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (आरएपीवी⁵³) में सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर जल तापन प्रणाली, यूवी जल शोधक, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी बल्ब और इन्वर्टर की स्थापना के लिए मार्च 2018⁵⁴ में ₹80.84 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसिडको) को प्रति आरएपीवी ₹84.21 लाख के प्रारंभिक आगणन के आधार पर कुल ₹80.84 करोड़ की धनराशि जारी की गयी (मार्च 2018)। इस बीच शासन ने उपरोक्त कार्य को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया (जून 2019)। ₹41.97 करोड़ की लागत वाली पांच मं⁵⁵ यूपीसिडको को आवंटित की गयी (जून 2019) और ₹ 38.87 करोड़ की लागत के अवशेष एक कार्य⁵⁶ उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) को आवंटित की गई थी। यूपीसिडको द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ₹41.97 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, यूपीसिडको द्वारा जून 2019 में दी गई थी। यूपीसिडको ने जून 2022 तक 96 आरएपीवी में से 92 में काम पूरा कर लिया और शेष आरएपीवी में काम प्रगति पर था। चूंकि स्वीकृत कार्य की कुल राशि यूपीसिडको को जारी कर दी गई थी, यूपीनेडा को आवंटित कार्य की लागत (₹38.87 करोड़) के लिए धनराशि यूपीनेडा को दी जानी थी, जिसके सापेक्ष यूपीसिडको द्वारा केवल ₹21.87 करोड़ (जून 2022) प्रदान किया गया था।

अग्रेतर, अभिलेखों की जांच से पता चला कि यूपीसिडको ने प्रतिशत प्रभार के प्रावधानों का पालन नहीं किया था और एक गलत आगणन बनाया था जिसके आधार पर कार्य स्वीकृत किया गया था। आगणन में यूपीसिडको ने कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की कटौती किए बिना ही कुल लागत पर 12.5 प्रतिशत शुल्क शामिल किया था। आगणन में गलत गणना के कारण एक आरएपीवी की कार्य लागत ₹41.64 लाख के बजाय बढ़कर ₹43.72 लाख हो गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप, यूपीसिडको को ₹ दो करोड़ (96 आरएपीवी x ₹2.08 लाख) का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट-2.5)।

उत्तर (मई 2022) में, शासन ने बताया कि तीन कार्यों में से दो कार्यों⁵⁷ की दरें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची में उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए

⁵² क्रमांक ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11नवंबर 2014।

⁵³ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/खानाबदोशों से संबंधित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निरुशुल्क उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आरएपीवी चलाए जा रहे थे।

⁵⁴ शासनादेश क्रमांक 103/2018/998/26-3-2018 दिनांक 31-03-2018।

⁵⁵ सौर जल तापन प्रणाली, यूवी शोधक, एलईडी स्ट्रीटलाइट, एलईडी बल्ब और इन्वर्टर प्वाइंट।

⁵⁶ सौर ऊर्जा संयंत्र।

⁵⁷ वॉटर हीटर सिस्टम और वाटर प्यूरीफायर की स्थापना।

यूपीसिडको द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक आगणन तैयार किया गया था और कार्य की कुल लागत से पांच प्रतिशत घटाए बिना 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार प्रभारित किया गया जो समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ऊपर उल्लिखित शासकीय आदेशों में कार्य लागत से पांच प्रतिशत की कटौती के बाद प्राप्त लागत पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार की अनुमन्यता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। इसलिए, कार्य लागत का पांच प्रतिशत घटाए बिना प्रतिशत प्रभार का आरोपण अनियमित था।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

2.15 गृहकर के बकाये का परिहार्य भुगतान

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा नगर निगम गोरखपुर को गृहकर के भुगतान में शिथिलता के परिणामस्वरूप गृहकर के बकाए पर ₹3.08 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

नगर निगम अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के अध्याय VIII की धारा 84 नगर निगम को भवन एवं भूमि पर उस दर से कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। करों का निर्धारण एवं संग्रहण अधिनियम एवं उसके पश्चात बनाये गये उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। अधिनियम की धारा 121 में यह भी प्रावधानित है कि यदि कर अथवा फीस का नियत तिथि के एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो उस पर प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2021) में यह संज्ञान में आया कि मार्च 1999 से मार्च 2021 की अवधि में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा ₹6.41 लाख से ₹15.39 लाख के मध्य मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भवन⁵⁸ पर प्रत्येक वर्ष गृहकर अधिरोपित किया गया था। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा लम्बित गृहकर पर एक प्रतिशत प्रति माह की सामान्य ब्याज दर से ब्याज भी अधिरोपित किया गया। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2015 तक मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर ₹1.50 करोड़ के गृहकर का बकाया एवं उस पर ₹1.66 करोड़ की धनराशि का ब्याज लम्बित था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा गृहकर की देयता का नियमित रूप से भुगतान नगर निगम, गोरखपुर को नहीं किया था। हालाँकि, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2020 तक ब्याज की आंशिक धनराशि ₹2.40 करोड़⁵⁹ का भुगतान किया था, परन्तु, देयता का पूर्ण भुगतान नहीं किया था। अन्ततः, मार्च 2021 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ₹3.10 करोड़⁶⁰ धनराशि का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप, गृहकर का विलम्ब से भुगतान करने के कारण मार्च 2015 से मार्च 2021 तक पिछले बकाया सहित ₹3.08 करोड़⁶¹ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

⁵⁸ भवन संख्या 97, महादेव झारखंडी, टुकड़ा संख्या 2, जोन संख्या 1, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

⁵⁹ 2015-16 के दौरान ₹50.50 लाख, 2016-17 के दौरान ₹40.00 लाख, 2017-18 के दौरान ₹40.00 लाख, 2018-19 के दौरान ₹50.00 लाख, 2019-20 के दौरान ₹40.00 लाख एवं 2020-21 के दौरान ₹ 20.00 लाख।

⁶⁰ मूलधन: ₹2.42 करोड़ तथा अवशेष ब्याज: ₹0.68 करोड़

⁶¹ अप्रैल 2015 से सितम्बर 2020 के दौरान ₹2.40 करोड़ एवं मार्च 2021 में ₹0.68 करोड़ का भुगतान।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर (अगस्त 2021) में कहा गया कि रजिस्ट्रार, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग को बकाया गृहकर के पूर्ण भुगतान के लिये विशेष स्वीकृति अथवा छात्रों/जनता के हित में गृहकर को माफ किये जाने के लिए कई बार अनुरोध⁶² (मार्च 2015 से) किया गया था, परन्तु शासन द्वारा न तो बजट प्रदान किया गया और न ही पत्रों का उत्तर दिया गया। तथापि शासन ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देश (सितम्बर 2008 एवं मार्च 2011) दिये गये थे कि संस्थान की गृहकर देयता के भुगतान के लिये अलग से अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था और न ही गृहकर के भुगतान से कोई छूट प्रदान की जा सकती है। शासन ने यह भी कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक रूप से कोर्ट में वाद⁶³ दाखिल किया गया, शासन से अनावश्यक पत्राचार किये गये तथा धनराशि की उपलब्धता के बावजूद भी गृहकर के भुगतान में विलम्ब किया गया। इससे गृहकर के दायित्वों में वृद्धि हुई जिसके लिये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रशासन प्रथम दृष्टया उत्तरदायी था। इस संदर्भ में जिम्मेदारी तय करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

तथ्य यह रहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा गृहकर के भुगतान में शिथिलता तथा इस मामले में शासन एवं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान गृहकर के बकायों पर ₹3.08 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

शहरी विकास विभाग

2.16 परिहार्य भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती एवं समय पर निधि में भुगतान के सम्बंध में वैधानिक उत्तरदायित्व का पालन करने में नगर पालिका परिषद की विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के अंशदान, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के रूप में ₹1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ अधिनियम) में प्रावधान है कि नियोक्ता, कर्मचारी अंशदान को उसके वेतन से काटकर नियोक्ता अंशदान के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उसका भुगतान करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर देय तिथि से उसके वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए नियोक्ता उत्तरदायी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि योजना यह भी निर्धारित⁶⁴ करती है कि यह प्रधान नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वयं द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के सम्बंध में एवं ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के सम्बंध में दोनों अंशदान का भुगतान करे। कर्मचारियों के अंशदान की राशि की वसूली वेतन से कटौती के माध्यम से होगी, तथापि उस अवधि या अवधि के भाग के रूप में, जिसके लिये अंशदान देय है, से भिन्न अवधि हेतु भुगतान किये गये किसी भी वेतन से ऐसी कोई कटौती नहीं की जा सकती है, अर्थात् यदि कर्मचारी अंशदान समय पर नहीं काटा जाता है, तो नियोक्ता दोनों अंशदानों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

⁶² जुलाई 2015, जुलाई 2016, अक्टूबर 2016, जनवरी 2017 एवं दिसम्बर 2018।

⁶³ नगर निगम, गोरखपुर द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों पर गृहकर की मांग के विरुद्ध मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जिला न्यायालय, गोरखपुर में वाद दाखिल किया (दिसम्बर 2015) गया। न्यायालय में दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिया (फरवरी 2021) गया।

⁶⁴ योजना का पैराग्राफ 33।

जनवरी 2011 में, भारत सरकार ने अधिसूचित किया कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधान नगर पालिका परिषदों पर भी लागू होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रत्येक कर्मचारी का विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया (अप्रैल 2011)।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, मऊ के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2019) एवं अग्रेतर वहाँ से एकत्र की गई सूचनाओं (अक्टूबर 2020) से ज्ञात हुआ कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन⁶⁵ द्वारा नगर पालिका परिषद को स्थापना कोड आवंटित (फरवरी 2012) किया गया एवं 209 कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को जमा करने का निर्देश दिया गया। तथापि, नगर पालिका परिषद ने न तो संविदा कर्मचारियों से कर्मचारी अंशदान की कटौती की और न ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आग्रह⁶⁶ के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा किया। परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी 2011 से नवंबर 2014 की अवधि के लिए दस दिनों के भीतर ₹87.88 लाख के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश पारित किया (सितंबर 2015)। हालांकि, नगर पालिका परिषद निर्धारित समय में आदेशित राशि का भुगतान करने में विफल रहा, अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नगर पालिका परिषद के बैंक खाते⁶⁷ से ₹87.88 लाख की वसूली कर ली गयी (जुलाई 2016)। अग्रेतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नगर पालिका परिषद से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के विलंबित भुगतान⁶⁸ हेतु ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के लिए ₹1.08 करोड़ के भुगतान के लिए कहा (सितंबर 2016), जिसको भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नगर पालिका परिषद के बैंक खातों⁶⁹ से वसूल कर लिया गया था (सितंबर 2018)। इस प्रकार, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में नगर पालिका परिषद की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के अंशदान, ब्याज और क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण ₹1.49 करोड़⁷⁰ का परिहार्य भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, नगर पालिका परिषद ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि धन की कमी एवं नगर पालिका परिषद की वित्तीय स्थिति के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नहीं किया जा सका। नगर पालिका परिषद ने यह भी बताया (जुलाई 2022) कि जनवरी 2019 से जून 2022 तक की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान किया जा चुका था एवं अप्रैल 2015 से दिसंबर 2018 के बीच के शेष महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, नगर पालिका परिषद द्वारा दिसंबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान के सम्बंध में कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नगर पालिका परिषद पात्र कर्मचारियों से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंशदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के वैधानिक दायित्व का पालन करने में विफल रहा

⁶⁵ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी।

⁶⁶ पत्र दिनांक 10.12.2013 एवं सम्मन दिनांक 06.01.2015।

⁶⁷ भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्या 34872050592।

⁶⁸ धारा 7क्यू के अंतर्गत ब्याज की धनराशि ₹37.01 लाख एवं धारा 14बी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 71.22 लाख।

⁶⁹ ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का बचत खाता संख्या 06242191058840 एवं 06242191057263।

⁷⁰ कर्मचारी अंशदान ₹41.18 लाख (जो कि कर्मचारियों से वसूला नहीं गया), ब्याज ₹37.01 लाख एवं क्षतिपूर्ति ₹71.22 लाख

जिसके कारण ₹1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ। अग्रेतर, नगर पालिका परिषद ने दिसंबर 2014 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान अभी तक नहीं किया था, जिससे न केवल ब्याज का अग्रेतर दायित्व सृजित हुआ तथापि पात्र कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले वांछित लाभों से भी वंचित रहे।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2021), उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

**व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग**

2.17 अलाभकारी व्यय

विस्तृत प्राक्कलन बनाये जाने में लापरवाही पूर्ण अभिवृत्ति एवं राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में सात वर्षों से अधिक का विलम्ब किये जाने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किठौर, मेरठ के निर्माण पर ₹ पांच करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम⁷¹ (एम.एस.डी.पी.) के अंतर्गत ₹9.37 करोड़ (निर्माण कार्यों के लिये ₹5.00 करोड़ का केन्दांश तथा उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु ₹4.37 करोड़ का राज्यांश) की लागत से जनपद मेरठ के माछरा ब्लॉक के किठौर में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण का अनुमोदन किया गया (सितम्बर 2014)। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत परियोजना में लागत वृद्धि के किसी भी प्रस्ताव को, चाहे किसी भी कारणों से हो, संज्ञान में नहीं लिया जायेगा एवं राज्य सरकार ऐसे समस्त प्रकरणों में कमी की प्रतिपूर्ति करेगी। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में अग्रेतर अपेक्षा की गयी थी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत ट्रेडों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) से सम्बद्ध किया जायेगा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 में प्रत्येक ₹2.50 करोड़ की दो समान किस्तों में सहायता अनुदान निर्गत किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश को दिसम्बर 2014 एवं अगस्त 2016 में ₹2.50 करोड़ की दो समान किस्तों में निधि को इस शर्त के साथ निर्गत किया कि कार्य को निर्गत धनराशि के तीन माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) निष्पादित किया जायेगा तथा अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायगी। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के उपयोग के लिये कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साकेत मेरठ के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2021) एवं एकत्रित सूचना (दिसम्बर 2021 एवं मई 2022) से संज्ञान में आया कि कंस्ट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया (दिसम्बर 2014) तथा किठौर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के

⁷¹ बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करना था एवं चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इत्यादि की उन्नत ढांचागत सुविधा प्रदान कर असंतुलन कम करना था।

निर्माण के लिये दिनांक रहित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) दो भागों⁷² में निष्पादित किया गया। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था को ₹2.50 करोड़ की प्रथम किस्त दिसम्बर 2014 में निर्गत की गयी एवं कार्यदायी संस्था को भूमि मार्च 2015 में प्रदान की गयी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण मार्च 2015 में प्रारम्भ किया गया एवं प्रथम किस्त (₹ 2.50 करोड़) का उपभोग प्रमाण-पत्र नवम्बर 2015 में प्रस्तुत किया गया। हालाँकि, कार्यदायी संस्था को द्वितीय किस्त (₹ 2.50 करोड़) नौ माह पश्चात् सितम्बर 2016 में निर्गत की गयी जिसके कारण दिसम्बर 2015 से सितम्बर 2016 के मध्य कार्य की प्रगति धीमी⁷³ रही।

सम्प्रेक्षा में अग्रेतर पाया गया कि कार्यदायी संस्था ने कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व ₹12.18 करोड़ का विस्तृत आगणन यह कहते हुये बनाया था (फरवरी 2015) कि (i) परियोजना पर ₹9.37 करोड़ का पूर्व प्राक्कलन अक्टूबर 2011 की पुरानी लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दर पर स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2014), तथा (ii) प्रस्तावित कार्य स्थल की भूमि गड्ढे में होने के कारण उसमें मिट्टी भरवाई पर ₹66.99 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता थी। तथापि, इस तथ्य से अवगत होते हुये भी कि प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करने हेतु स्वीकृत प्राक्कलन अपर्याप्त था, फिर भी कार्यदायी संस्था ने कार्य प्रारम्भ कर दिया एवं ₹9.37 करोड़ के लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2015)। तकनीकी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, कार्य को भवन निर्माण की स्वीकृत लागत ₹पांच करोड़ की सीमा तक इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि व्यय धनराशि के अनुरूप किया गया कार्य उपयोगी हो सके एवं ₹2.81 करोड़ की बढ़ी हुई प्राक्कलित लागत प्राप्त किये जाने के लिये पुनरीक्षित आगणन का अनुमोदन ग्राहक विभाग के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिये। इसके पश्चात्, कार्यदायी संस्था ने ₹12.76 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन तैयार कर फरवरी 2018 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मेरठ को उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया। पुनरीक्षित आगणन अग्रेतर भी प्रस्तुत किये गये (जुलाई 2019 एवं मार्च 2021)। इस दौरान सिविल कार्य हेतु निर्गत ₹ पांच करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि का मार्च 2018 तक उपभोग कर मात्र 82 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया जा सका। कार्यदायी संस्था द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणनों के स्वीकृत न होने के कारण कार्य विगत चार वर्षों से बन्द था (मई 2022)।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (फरवरी 2022) कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि भवन का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची वर्ष 2011 पर आधारित था जबकि योजना वर्ष 2014-15 में स्वीकृत की गयी थी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिये भूमि गड्ढे में उपलब्ध कराई गयी थी जिससे उसमें मिट्टी भराई, भवन की नींव एवं चाहरदीवारी की लागत में वृद्धि हुई थी। इसी कारण, कार्यदायी संस्था ने ₹12.38 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन (मार्च 2015) तैयार किया जिस पर ₹9.37 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पुनरीक्षित आगणन शासन के अनुमोदन के लिये प्रेषित किया गया। ₹ पांच करोड़ की निर्गत धनराशि में मुख्य भवन एवं एक कार्यशाला का कार्य पूर्ण किया गया एवं कार्य⁷⁴ की भौतिक प्रगति 82 प्रतिशत थी।

⁷² प्रथम समझौता ज्ञापन दिसम्बर 2014 में ₹2.50 करोड़ की प्रथम किस्त निर्गत किये जाने के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया था एवं द्वितीय समझौता ज्ञापन अगस्त 2016 में ₹2.50 करोड़ की द्वितीय किस्त निर्गत किये जाने के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया।

⁷³ कार्य की प्रगति दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान 50 प्रतिशत, फरवरी 2016 से मई 2016 के दौरान 57 प्रतिशत एवं जून 2016 से सितम्बर 2016 के दौरान 58 प्रतिशत थी।

⁷⁴ मुख्य भवन, एक कार्यशाला एवं ओवरहेड टैंक का कार्य कतिपय कमियों के साथ पूर्ण था तथा एक कार्यशाला, चाहरदीवारी, दो आवासीय भवन (टाइप-1) एवं एक टाइप-3 आवास, मुख्य गेट के साथ तथा बाह्य विकास कार्य पूर्ण नहीं थे।

हालाँकि, ₹ पांच करोड़ का व्यय अलाभकारी नहीं था, अपितु उपरोक्त कारणों से निर्गत धनराशि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। अपूर्ण कार्यों को कार्य की बढ़ी हुयी लागत के अनुमोदन के पश्चात् पूर्ण किया जायेगा।

शासन का उत्तर उन कारणों को स्पष्ट नहीं करता कि पुनरीक्षित आगणन किस आशय से स्वीकृत नहीं किया गया जबकि उनके संज्ञान में था कि मूल स्वीकृत आगणन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किठौर, मेरठ के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किठौर के निर्माण के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार किये जाने में लापरवाही पूर्ण अभिवृत्ति से गड्ढे में भूमि प्राप्त होने के सापेक्ष मिट्टी भराई की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया गया था। परियोजना के लिये गलत प्राक्कलन तैयार किये जाने एवं पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में सात वर्षों से अधिक का विलम्ब किये जाने के परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किठौर का निर्माण कार्य मार्च 2018 से रुका हुआ था तथा अपूर्ण निर्माण पर व्यय ₹ पांच करोड़ की धनराशि अलाभकारी रही।

प्रयागराज
दिनांक

30 जनवरी 2023

बि. ई. मोहन्ती.

(बिजय कुमार मोहन्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक **- 2 FEB 2023**

गिरीश चंद्र मुर्मू
(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1
विभागों एवं संबंधित संस्थाओं का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1)

क्र० सं०	विभागों के नाम	शीर्ष इकाइयों के साथ लेखापरीक्षा इकाइयों की संख्या			
		सिविल इकाइयाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	कुल
1	ए बी (मानव अधिकार आयोग एवं राज्य विधिक प्राधिकरण)	0	0	2	2
2	प्रशासनिक सुधार	1	0	0	1
3	कृषि एवं कृषि विपणन (कृषि विपणन)	211	0	0	211
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0	0	6	6
5	पशुपालन	88	0	0	88
6	आयूष	155	2	0	157
7	पिछड़ा वर्ग कल्याण	76	1	0	77
8	बेसिक शिक्षा	277	0	0	277
9	बाल विकास और पोषण	76	1	0	77
10	सहकारी समितियाँ	78	14	0	92
11	डेयरी विकास	52	0	0	52
12	निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	68	0	0	68
13	चुनाव	142	0	0	142
14	विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण	77	0	0	77
15	संपदा विभाग	7	0	0	7
16	मछली पालन	57	0	0	57
17	खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता	161	0	0	161
18	हथकरघा और रेशम उत्पादन विभाग	17	0	0	17
19	उच्च शिक्षा	168	0	15	183
20	गृह	242	0	0	242
21	गृह (जेल प्रसाशन)	69	0	0	69
22	होम गार्ड	75	0	0	75
23	उद्यान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	106	0	0	106
24	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	0	102	34	136
25	सूचना और जनसंपर्क	74	0	0	74
26	सिंचाई एवं जल संसाधन, मृदा एवं जल संरक्षण (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	560	0	0	560
27	सिंचाई डीएमयू	0	9	0	9
28	न्याय प्रणाली	96	0	0	96
29	श्रम	71	0	1	72
30	भाषा	2	0	0	2
31	मद्य निदेश विभाग	8	0	0	8
32	चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण	18	0	12	30
33	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन)	285	2	5	292

क्र० सं०	विभागों के नाम	शीर्ष इकाइयों के साथ लेखापरीक्षा इकाइयों की संख्या			
		सिविल इकाइयों	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	कुल
34	लघु सिंचाई और भूजल	67	0	0	67
35	अल्पसंख्यक कल्याण	76	0	0	76
36	पंचायती राज विभाग	77	0	75 (पंचायती राज संस्थाएं)	152
37	कार्मिक (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय) और रोजगार	74	0	0	74
38	व्यक्तिगत (लोक सेवा आयोग)	1	0	0	1
39	परियोजना निगम, सिंचाई	0	9	0	9
40	अभियोजन (गृह)	70	0	0	70
41	राजस्व (कलेक्ट्रेट और भू-राजस्व)	123	0	0	123
42	राजस्व (कलेक्ट्रेट और भू-राजस्व को छोड़कर)	23	0	0	23
43	ग्रामीण विकास विभाग	203	0	0	203
44	माध्यमिक शिक्षा	211	0	0	211
45	सचिवालय प्रशासन	13	0	0	13
46	समाज कल्याण	77	7	0	84
47	सैनिक कल्याण	77	0	0	77
48	खेल और युवा कल्याण	146	0	0	146
49	चीनी और गन्ना विकास	62	10	0	72
50	तकनीकी शिक्षा	82	0	3	85
51	शहरी विकास	0	232	0	232
52	शहरी विकास विभाग	2	0	653 (शहरी स्थानीय निकाय)	655
53	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	76	0	0	76
54	शहरी नियोजन और भूमि सीमा	55	0	0	55
55	जागरूकता	11	0	0	11
56	व्यावसायिक शिक्षा	74	0	0	74
57	वक्फ एवं अल्पसंख्यक कल्याण	0	2	0	2
58	महिला कल्याण	77	1	0	78
कुल योग		4994	392	806	6192

उपरोक्त के अतिरिक्त, उनकी संबंधित लेखापरीक्षा इकाइयों के एक भाग के रूप में 5,72,716 कार्यान्वयन इकाइयां भी, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में थी।

परिशिष्ट-2.1.1

2016-21 की अवधि में प्रयागराज विकास प्राधिकरण और निजी निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्मित आवासीय इकाइयों का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.4)

(संख्या में)

वर्ष	वर्ष के दौरान कार्यान्वित आवासीय योजनाओं की कुल संख्या ¹	आवासीय इकाइयों की संख्या				
		एच आई जी	एम आई जी	एल आई जी	ई डब्लू एस	योग
प्रयागराज विकास प्राधिकरण						
2016-17	1	0	456	16	16	488
2017-18	0	0	0	0	0	0
2018-19	1	0	192	192	48	432
2019-20	0	0	0	0	0	0
2020-21	1	0	0	32	0	32
योग	3	0	648	240	64	952
निजी निर्माणकर्ता						
2016-17	04	88	162	0	0	250
2017-18	04	388	580	0	0	968
2018-19	11	1151	1721	374	434	3680
2019-20	08	488	904	71	71	1534
2020-21	06	282	502	0	0	784
योग	33	2397	3869	445	505	7216

(स्रोत: प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

¹ 2016-17: जागृति विहार आवास योजना, 2018-19: यमुना विहार आवास योजना, 2020-21: जान्हवी अपार्टमेंट योजना फेज-III, नैनी।

परिशिष्ट-2.1.2
मार्च 2021 तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अविक्रीत फ्लैटों का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.5.4)

आवासीय योजना का नाम	आच्छादित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	योजना के शुरू होने का वर्ष	कुल सम्पत्तियों की संख्या	विक्रीत सम्पत्तियों की संख्या	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	वर्तमान दर पर सम्पत्तियों की लागत (₹ में)	रिक्त सम्पत्तियों की कुल लागत (₹ लाख में)
मौसम विहार							
शरद 3 बी एच के	133.67	2013	56	45	11	85,28,665.00	938.15
शिशिर 2 बी एच के	102.94	2013	140	90	50	64,77,355.00	3,238.68
हेमन्त 2 बी एच के	85.51	2013	56	23	33	53,36,775.00	1,761.14
बसन्त 2 बी एच के	80.25	2013	84	52	32	50,26,730.00	1,608.55
उप-योग			336	210	126		7,546.52
जागृति विहार							
एम आई जी-I फेज-1	75.83	2015-16	168	143	25	37,41,000.00	935.25
मिनी एम आई जी -II फेज-2	54.30	2015-16	96	82	14	33,06,000.00	462.84
मिनी एम आई जी -II फेज-3	54.30	2015-16	192	0	192	33,06,000.00	6,347.52
उप-योग			456	225	231		7,745.61
योग			792	435	357		15,292.13 अर्थात् ₹ 152.92 करोड़

(स्रोत: प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

परिशिष्ट-2.1.3

प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड से सम्बन्धित सड़क कार्यों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.6.3)

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आगणित लागत
1	पन्नालाल मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	796.94
2	सोभनाथ सिंह मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	316.63
3	मिशन मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	364.37
4	सुभाष नगर मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	324.38
5	क्लाइव मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	528.44
6	स्ट्रेची मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	559.92
7	कूपर मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	733.87
8	ताशकन्त मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	1,350.15
9	बाबू बिन्देश्वरी मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	346.32
10	डा0 मम्फोर्डगंज का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	392.88
11	लोहिया मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	1,276.60
12	महाराणा प्रताप चौराहा से आनन्द हास्पिटल मोड़ मार्ग	641.04
13	महाराणा प्रताप चौराहा से मनमोहन पार्क मोड़ मार्ग	798.59
योग		8,430.13

परिशिष्ट-2.1.4
दर विश्लेषण में ली गई मशीनरी की अधिक दर
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.6.3)

क्र० सं०	विवरण	ईकाई	मात्रा	डी पी आर के अनुसार दर (₹ में)	डाटा बुक के अनुसार दर (₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक दर (₹ में)	
जी एस बी मिक्स इन प्लेस मेथड (मशीनरी की दर)								
1	मोटर ग्रेडर 110 एच पी @ 50 घनमीटर	घन्टे	6	2781	1545	1236	7416	
2	वाईब्रेटरी रोलर 8-10 टन	घन्टे	6	1789.2	994	795.2	4771.2	
3	ट्रेक्टर रोटावेटर	घन्टे	12	441	245	196	2352	
4	मशीनरी की कुल धनराशि							14539.2
5	80 प्रतिशत मूल्यवृद्धि के साथ कुल धनराशि							26170.56
6	6 प्रतिशत ओवरहेड के साथ कुल धनराशि							27740.79
7	10 प्रतिशत ठेकेदार लाभ के साथ कुल धनराशि							30514.87
8	अधिक गणना प्रति घनमीटर (₹ 30514.87/आउटपुट 300 घनमीटर)							₹102
डी पी आर के अनुसार दर- ₹ 1776; अधिक दर- ₹ 102 (5.74 प्रतिशत)								
क्र० सं०	विवरण	ईकाई	मात्रा	डी पी आर के अनुसार दर (₹ में)	मोर्थ के दर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना	अन्तर (₹ में)	अधिक दर (₹ में)	
डेंस ग्रेड बिटुमिनस मैकडम (मशीनरी की दर)								
1	जनरेटर 250 केवीए	घन्टे	6	1125	450	675	4050	
2	जनरेटर पर 85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि			956.25	382.5	573.75	3442.5	
3	250 केवीए जनरेटर की कुल दर (अ)			2081.25	832.5	1248.75	7492.5	
4	टिपर क्षमता 10 टन	टन/किमी	450x लीड x1.74	23490 (लीड 30 कमी)	7830 (लीड 10किमी)	15660	15660	
5	10 प्रतिशत जोड़ने पर			2349	783	1566	1566	
	टिपर की कुल दर (ब)			25839	8613	17226	17226	
6	टिपर पर 85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि (स)			21963	7321.05	14642.1	14642.1	
7	मशीनरी के लिए कुल धनराशि (अ+ब+स)							39360.6
8	6 प्रतिशत ओवरहेड के साथ कुल धनराशि							41722.24
9	10 प्रतिशत ठेकेदार लाभ के साथ कुल धनराशि							45894.46
10	अधिक दर प्रति घनमीटर (₹ 45894.46/आउटपुट 195 घनमीटर)							₹ 235
डी पी आर के अनुसार दर- ₹ 9302; अधिक दर- ₹ 235 (2.53 प्रतिशत)								
बिटुमिनस कंक्रीट (मशीनरी की दर)								
1	जनरेटर 250 केवीए	घन्टे	6	1125	450	675	4050	
2	जनरेटर पर 85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि			956.25	382.5	573.75	3442.5	
3	250 केवीए जनरेटर की कुल दर (अ)			2081.25	832.5	1248.75	7492.5	
4	टिपर क्षमता 10 टन	टन/किमी	450 x लीड	23490	7830	15660	15660	

			x 1.74	(लीड 30 किमी)	(लीड 10 किमी)		
5	10 प्रतिशत जोड़ने पर			2349	783	1566	1566
	टिपर की कुल दर (ब)			25839	8613	17226	17226
6	टिपर पर 85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि (स)			21963	7321.05	14642.1	14642.1
7	मशीनरी के लिए कुल धनराशि (अ+ब+स)						39360.6
8	6 प्रतिशत ओवरहेड के साथ कुल धनराशि						41722.24
9	10 प्रतिशत ठेकेदार लाभ के साथ कुल धनराशि						45894.46
10	अधिक दर प्रति घनमीटर (₹ 45894.46/आउटपुट 191 घनमीटर)						₹ 240
	डी पी आर के अनुसार दर-₹ 10138; अधिक दर- ₹ 240 (2.37 प्रतिशत)						
बिटुमिनस मैकडम (मशीनरी की दर)							
1	जनरेटर 250 केवीए	घन्टे		1125	450	675	4050
2	जनरेटर पर 80 प्रतिशत मूल्य वृद्धि		6	900	360	540	3240
3	250 केवीए जनरेटर की कुल दर (अ)			2025	810	1215	7290
4	टिपर क्षमता 10 टन (मूल्यवृद्धि के साथ)	टन/किमी	450 x लीड x 3.03 (मूल्य वृद्धि के साथ)	40905 (लीड 30 कमी)	13635 (लीड 10 कमी)	27270	27270
5	10 प्रतिशत जोड़ने पर			4090.5	1363.5	2727	2727
6	टिपर की कुल दर (ब)			44995.5	14998.5	29997	29997
7	मशीनरी के लिए कुल धनराशि (अ+ब)						37287
8	6 प्रतिशत ओवरहेड के साथ कुल धनराशि						39524.22
9	10 प्रतिशत ठेकेदार लाभ के साथ कुल धनराशि						43476.64
10	अधिक दर प्रति घनमीटर (43476.64/आउटपुट 205 घनमीटर)						₹ 212
	डी पी आर के अनुसार दर – ₹ 7838.60य अधिक दर- ₹ 212 (2.70 प्रतिशत)						
सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट (मशीनरी की दर)							
1	जनरेटर 250 केवीए	घन्टे		1125	450	675	4050
2	जनरेटर पर 85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि		6	956.25	382.50	573.75	3442.50
3	250 केवीए जनरेटर की कुल दर (अ)			2081.25	832.50	1248.75	7492.50
4	टिपर क्षमता 10 टन	टन/किमी	450 x लीड x 1.74	23490 (लीड 30 कमी)	7830 (लीड 10 कमी)	15660	15660
5	10 प्रतिशत जोड़ने पर			2349	783	1566	1566
	टिपर की कुल दर (ब)			25839	8613	17226	17226
6	टिपर पर 85 प्रतिशत मूल्यवृद्धि (स)			21963.15	7321.05	14642.10	14642.10
7	मशीनरी के लिए कुल धनराशि (अ+ब+स)						39360.60
8	6 प्रतिशत ओवरहेड के साथ कुल धनराशि						41722.24
9	10 प्रतिशत ठेकेदार लाभ के साथ कुल धनराशि						45894.46
10	अधिक दर प्रति घनमीटर (45894.46/आउटपुट 195 घनमीटर)						₹ 235
	डी पी आर के अनुसार दर-₹ 9212; अधिक दर- ₹ 235 (2.55 प्रतिशत)						
नोट: प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा "स्टैनली रोड ट्रैफिक चौराहा से आनंद हॉस्पिटल मोड़" के कार्य के आगणन में लिए गए लीड के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना में 10 किमी की लीड ली गई है।							

परिशिष्ट-2.2

राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुये धनराशि को
चालू बैंक खाते में रखने के कारण व्याज की हानि
(संदर्भ: प्रस्तर 2.10)

क्र०सं०	खाता संख्या	अवधि	ब्याज की धनराशि
1	10346036304	02.04.2016 से 27.11.2020	97,82,822.02
2	30825556762	15.06.2016 से 27.11.2020	2,71,652.48
3	10346036393	01.04.2016 से 27.11.2020	55,35,181.92
4	10346036064	01.04.2016 से 27.11.2020	6,03,189.28
योग			16192845.70

परिशिष्ट 2.3
₹3.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर 2.11)

क्र० सं०	इकाई का नाम	मजदूरी का माह	अधिनियम की धारा 7क्यू और 14बी के अनुसार व्याज एवं क्षति की धनराशि		भुगतान की तिथि
			भुगतान	शेष	
1	मु०चि० अधिकारी गाजियाबाद	अप्रैल 2015 से सितंबर 2015	1041306	0	31-05-2018
		अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016	1090255	0	31-05-2018
		मई 2016 से जुलाई 2016	395347	0	31-05-2018
		जनवरी-फरवरी 2017, अप्रैल-जुलाई 2017, सितंबर और नवंबर 2017	96976	0	23-03-2018
योग			2623884	0	
2	मु०चि० अधिकारी, बाराबंकी	मार्च 2017 से दिसंबर 2017	199870	0	21-12-2018
		अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015	994919		21-12-2018
		जून 2017 से दिसंबर 2017	50387		31-03-2019
		दिसंबर 2018	7858		31-03-2019
		जनवरी 2018 से जुलाई 2018	149086		31-03-2019
		जनवरी 2016 से मार्च 2017 और जनवरी 2018	725096		31-03-2019
योग			2127216	0	
3	मु०चि० अधिकारी, कन्नौज	अप्रैल 2017 से फरवरी 2018	197576	0	31-05-2018
		अप्रैल 2015 से मार्च 2017, मार्च 2018	2042364		30-07-2018
		दिसंबर 2016	837		13-09-2018
योग			2240777	0	
4	मु०चि० अधिकारी, वाराणसी	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	6204782	0	31-03-2020
		अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 एवं जनवरी 2020	0	1252376	
योग			6204782	1252376	
5	मु०चि० अधिकारी, मिर्जापुर	अप्रैल 2015 से मार्च 2019	411419	1488129	31-03-2018
			923706		28-03-2019
			165013		31-03-2019
			111621		15-05-2019
योग			1611759	1488129	
6	मु०चि० अधिकारी, झाँसी	अप्रैल 2016	173790	0	अप्रैल-16
		मई 2016	151416	0	मई-16
		जून 2016	151464	0	जून-16
		जुलाई 2016	138104	0	जुलाई-16
		अगस्त 2016	124706	0	अगस्त-16
		सितंबर 2016	110746	0	सितंबर-16

क्र० सं०	इकाई का नाम	मजदूरी का माह	अधिनियम की धारा 7क्यू और 14बी के अनुसार व्याज एवं क्षति की धनराशि		भुगतान की तिथि
			भुगतान	शेष	
		अक्टूबर 2016	98504	0	अक्टूबर-16
		नवंबर 2016	84912	0	नवंबर-16
		दिसंबर 2016	52605	0	दिसंबर-16
		अप्रैल 2015 दृमार्च 2016	2410418	0	मार्च-अप्रैल-16
		जन 2017-नव 2017	510696	0	मार्च-अप्रैल-17
		जन 2017-फर 2017, अप्रैल 2017-अप्रैल 2018	246836	0	मार्च-अप्रैल -18
		मई 2018	1474	0	मई-18
		अक्टूबर 2018	3950	0	अक्टूबर-18
		मई 2019	1191824	0	मई-19
		जून 2019	593	0	जून-19
		अगस्त 2019	400	0	अगस्त-19
		सितंबर 2019	1619	0	सितंबर-19
		अक्टूबर 2019	2722	0	अक्टूबर-19
योग			5456779	0	
7	मु०चि० अधिकारी, सोनभद्र	अप्रैल 2015 से नवम्बर 2017	1864644	0	06-03-2020
		अप्रैल 2015 से नवम्बर 2017	961565	0	06-03-2020
योग			2826209	0	
व्याज एवं क्षति की धनराशि का योग			23091406	2740505	
8	मु०चि० अधिकारी, वाराणसी	अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2016 तक की अवधि के लिए नियोक्ता से लिया गया कर्मचारी का अंश	9426679	0	27-01-2017
योग			9426679		

परिशिष्ट 2.4
त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर 2.12)

क्र० सं०	जिले का नाम	इकाई का नाम	प्रकरण की संख्या	अधिक भुगतान (₹ में)
1	फिरोजाबाद	मु०चि० अधिकारी, फिरोजाबाद	13	1857063
2	कानपुर नगर देहात	मु०चि० अधिकारी , कानपुर नगर देहात	13	1246756
3	बागपत	मु०चि० अधिकारी, बागपत	16	1274895
4	पीलीभीत	मु०चि० अधिकारी, पीलीभीत	3	469640
5	अमेठी	मु०चि० अधिकारी, अमेठी	2	267626
6	प्रतापगढ़	मु०चि० अधिकारी, प्रतापगढ़	34	5397813
7	मुजफ्फरनगर	मु०चि० अधिकारी, मुजफ्फरनगर	10	1624216
8	वाराणसी	मु०चि० अधिकारी, वाराणसी	5	506001
9	शाहजहाँपुर	मु०चि० अधिकारी, शाहजहाँपुर	10	1255883
10	महोबा	मु०चि० अधिकारी, महोबा	3	570153
11	मिर्जापुर	मु०चि० अधिकारी, मिर्जापुर	3	515899
12	कानपुर नगर	मु०चि० अधिकारी, कानपुर नगर	10	1488323
13	ललितपुर	मु०चि० अधिकारी, ललितपुर	1	196291
14	अयोध्या	मु०चि० अधिकारी, अयोध्या	5	990988
15	अलीगढ़	मु०चि० अधिकारी, अलीगढ़	6	1059706
16	मऊ	मु०चि० अधिकारी, मऊ	10	1918883
17	कुशीनगर	मु०चि० अधिकारी, कुशीनगर	18	3045824
18	झाँसी	मु०चि० अधिकारी, झाँसी	4	599004
		प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय जिला चिकित्सालय, झाँसी	1	129384
19	देवरिया	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बाबू मोहन सिंह जिला चिकित्सालय, देवरिया	1	198024
20	कौशांबी	मु०चि० अधिकारी , कौशांबी	2	318049
21	गाजीपुर	मु०चि० अधिकारी, गाजीपुर	5	961175
योग			175	25891596

परिशिष्ट 2.5
सेंटेज प्रभार का अधिक भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर 2.14)

विवरण	इकाई के अनुसार आगणन (धनराशि ₹)	लेखापरीक्षा के अनुसार आगणन (धनराशि ₹)
एक इकाई की अनुमानित लागत	3401354	3409975*
जोड़: आकस्मिक व्यय एक प्रतिशत की दर से	34014	34100
योग (अ)	3435368	3444075
घटाना: लागत का 5 प्रतिशत	0	172204
योग (ब)	3435368	3271871
जोड़: सेंटेज प्रभार 12.5 प्रतिशत की दर से	429421	408984
योग (स)	3864789	3680855
जोड़: जीएसटी 12 प्रतिशत की दर से	463775	441703
योग (द)	4328564	4122558
जोड़: लेबर सेस एक प्रतिशत की दर से	43286	41226
एक इकाई की कुल लागत	₹4371850 या ₹43.72 लाख	₹4163784 या ₹41.64 लाख
एक इकाई के लिए भुगतान की गयी अतिरिक्त लागत		(₹43.72 लाख – ₹41.64 लाख) = ₹2.08 लाख
96 इकाई के लिए भुगतान की गयी अतिरिक्त लागत (₹ करोड़ में)		96 इकाई x ₹2.08 लाख = ₹199.68 लाख या ₹2.00 करोड़

* एल0ई0डी0 लाइट के एक आइटम में इकाई द्वारा पहले ही कटौती किए गए ₹ 8621 शामिल है।